23 दिसम्बर, 2002 से 19 मई, 2004 तक
देशभर के 30 राज्यों में 140 नदियों के बेसिन में,
पानी के काम को बढ़ावा देने और जल पर
समाज का हक कायम रखने हेतु

राष्ट्रीय जलयात्रा

राजेन्द्र सिंह

राष्ट्रीय जलबिरादरी
(जल प्रेमियों का महासंघ)
34/46, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर - 302020 (राज.)
फोन : 0141-2393178 ई-मेल : jalbiradari@rediffmail.com

23 दिसम्बर, 2002 से 19 मई, 2004 तक
देशभर के 30 राज्यों में 140 नदियों के बेसिन में
पानी के काम को बढ़ावा देने और जल पर
समाज का हक कायम रखने हेतु

राष्ट्रीय जलयात्रा

राजेन्द्र सिंह

राष्ट्रीय जलबिरादरी
(जल प्रेमियों का महासंघ)
34/46, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर - 302020 (राज.)
फोन : 0141-2393178 ई-मेल : jalbiradari@rediffmail.com

राष्ट्रीय जन–जलनीति

सेवाग्राम आश्रम
दिनांक 2 अप्रैल, 2003

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्य भूमि, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय जल बिरादरी के राष्ट्रीय जल सम्मेलन ने 1 अप्रैल, 2002 को पारित की गई भारत सरकार की जलनीति को अस्वीकार कर दिया और यहीं पर इस नीति की होली जला दी। इसके बाद आज 2 अप्रैल 2003 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन में "जन–जलनीति" को पारित किया। भारत की धरती के ऊपर और धरती के नीचे का पानी भारत के समाज और प्रकृति का साझा है। समाज और सरकार, मनुष्य तथा प्रकृति, दोनों के हित के लिए साझा प्रबन्धन कर सकते हैं। जल को जीवन का आधार मान कर इसे बाजार की वस्तु नहीं बनने देंगे।

समाज की जनतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप बनी यह "जन–जलनीति" जल के विवेक– पूर्ण उपयोग और जल बचाने के सभी अधिकारों को समाज के पास सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगी, जिससे समाज में जल का सहअस्तित्व–बोध बना रहे।

जल संचय, संरक्षण, नियमन और वितरण सम्बन्धित यह जलनीति, कानून द्वारा बनाए गए जल प्रबन्धन कार्यक्रम को विकेन्द्रित रूप देगी। भारत के 80 भू–सांस्कृतिक क्षेत्रों की विविधता का इस जलनीति में पूर्ण स्वागत है। समाज के सभी वर्गों को जल पर समान

हक देने हेतु, वर्षा का जल जहां बरसता है, वहीं संचय करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

आजादी के बाद का अनुभव हमें समाजोन्मुखी जल प्रबन्धन की विकेन्द्रित व्यवस्था को बढ़ावा देने की ताकत देता है। साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय पूंजी के दबाव से हमें मुक्त रहने का रास्ता दिखाता है। इसलिए अब जल से वंचित रहा निस्सहाय और शक्तिहीन समाज इस जलनीति के तहत जल प्रबन्धन के अधिक अवसर पा सकेगा। तभी पूरा समाज जल बचाने के काम में सक्रिय हो सकेगा।

खेती, उद्योग तथा जीवन पद्धति को जल संवेदी बना सके, इस हेतु आर्थिक बजट की व्यवस्था जल के लिए स्पष्ट रूप से समाजोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को जो हक दिया है उसे बरकरार रखना है। इससे जल ग्रहण क्षेत्र में विद्यमान सभी जीव जंतु, मनुष्य आदि को अधिकारपूर्ण तरीके से जल मिल सकेगा और वे स्वावलम्बी बन सकेंगे।

इसमें जल के मर्यादित उपयोग की व्यवस्था करने हेतु नदी–घाटी की पंचायत बनाने की लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी की जाएगी। ग्राम संगठन से लेकर जल ग्रहण व नदी घाटी स्तर के संगठनों द्वारा विकेन्द्रित जल प्रबन्धन को बढ़ावा देंगे।

यह जन जलनीति व्यक्त करती है कि भूजल और वर्षा जल जैसे स्थानीय स्रोतों का उपयोग स्थानीय स्तर की जनतांत्रिक समितियों द्वारा निर्धारित हो। इसमें जल संग्रह की पारम्परिक विधियों के साथ–साथ स्थानीय तौर पर उपयुक्त आधुनिक, तकनीकी ज्ञान का प्रयोग किया जा सकेगा। इसमें सरकारी स्तर पर जो बजट प्रावधान किए जाते हैं, वे स्थानीय समिति के माध्यम से जन इच्छा

को जानकर ही किए जाएं। इससे समाज को जल बचाने के व्यवहार, उपयोग, प्रबन्धन जैसे सभी कार्यों में स्वामित्व का बोध होगा।

विस्तृत जल स्रोत तथा नदी जल आदि के उपयोग का नियमन एवं प्रबन्धन करने के लिए बेहतर जल सभा का गठन किया जाएगा। यह सर्वविदित है कि जल का विवेक सम्मत उपयोग न किए जाने के वर्तमान वातावरण से देश में और देश की सीमाओं के परे भी कटुतापूर्ण विवाद और हिंसक संघर्ष उपज रहे हैं और इससे देश की भावनात्मक एकता को नष्ट करने का चिन्तापूर्ण दृश्य बन रहा है। इसे तभी रोका जा सकता है और तभी समरसता की रचना हो सकती है जब जल को सम्पत्ति मानने के दुराग्रह को छोड़ कर एक उदार वातावरण में परस्पर सहमति से निर्णय लिए जाएं। जल जीवन का आधारभूत पंचमहाभूत बना रहे।

यह जन जलनीति भारत के प्रत्येक समुदायों को अपने जल प्रबन्धन के समुदाय आधारित व्यवस्था करने का नियम, कायदे, कानून और अनुशासन बनाए रखने का हक देती है। जब समाज स्वयं जल संरक्षण करता है तभी जल के प्रति अपनेपन का बोध बना रह सकता है। समाज को जल का सहवासी बनाने और जल पर समान हक को कायम रखने हेतु अपने अनुशासन व कानून कायदे बनाने की अनुमति यह जन जलनीति दे रही है। प्रत्येक भू–सांस्कृतिक क्षेत्रों की विविधतानुरूप सभी को अपनी जन जरूरत के अनुरूप जल कार्य नीति बनाने हेतु जल–साक्षरता अभियान एक राष्ट्रीय जलयात्रा के रूप में 23 दिसम्बर, 2002 को दिल्ली से शुरू हुआ। 19 मई, 2004 तक सतत कई दलों, समूहों के रूप में चलकर सफलतापूर्वक सम्पन्न हो रहा है। देशभर में कई जगह भू–साँस्कृतिक विविधतानुरूप जन जलनीति समाज ने बनाई है। उसी के अनुरूप अब कार्य कर रहे हैं।

पानी के काम को बढ़ावा देने तथा उस पर समाज का हक पुनर्स्थापित करने हेतु

राष्ट्रीय जल यात्रा

पानी बचाने के काम को बढ़ावा देने तथा नीतिगत बदलावों से पानी पर समाज के घटते जा रहे प्राकृतिक एवं कानूनी हकों को पुनर्स्थापित करने के लिए जल बिरादरी द्वारा एक राष्ट्रीय जल यात्रा सम्पन्न हुई। यात्रा का पहला चरण आज 23 दिसम्बर को महात्मा गांधी की समाधि से प्रारम्भ होकर कोई 8500 किलोमीटर की दूरी तय कर अलवर जिले के भीकमपुरा में सम्पन्न हुआ। 80 दिवसीय इस प्रथम चरण में दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, बिहार, उत्तरप्रदेश और राजस्थान राज्यों की यात्रा पूरी हुई। इसके बाद दक्षिण भारत एवं पूर्व तथा उत्तर–पूर्व भारत की यात्राएँ 19 मई 2004 तक भारत भर के 29 राज्यों में 140 नदियों के बेसिन पर यात्राएं सम्पन्न हुई।

उल्लेखनीय है कि हमारी बदली हुई जीवन शैली एवं पिछले कुछ दशकों से अपनाई गई विकास नीति के कारण पिछले कुछ वर्षो से देश के हर क्षेत्र में पानी की समस्या महसूस की जा रही है। इस समस्या के हल के लिए जरूरी है कि पानी बचाने के काम को बढ़ावा दिया जाये। अतः पानी का काम करने वालों को एक मंच पर लाकर इसे राष्ट्रीय अभियान बनाने हेतु जलबिरादरी की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इसके तहत पानी के काम को बढ़ावा देना, जनहितैषी जलनीति हेतु अभियान चलाना तथा समाज के पानी पर घटते अधिकार को पुनर्स्थापित करना इस यात्रा में शामिल रहा।

नई राष्ट्रीय जल नीति से यह काम कठिन हो गया है। इस नीति में पानी को संसाधन न मानकर इसे 'वस्तु' बना दिया गया है। पानी के प्रबन्धन से लेकर वितरण तक प्रत्येक क्षेत्र के निजीकरण को सहमति दे दी गई है। निजीकरण एक तरह से समाज को पानी के अधिकार से वंचित करने का प्रयास है। इसके पीछे विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारी दबाव है। बोलिविया देश के कोचाबाम्बा शहर में हुए पानी के निजीकरण की दर्दनाक प्रक्रिया हमारे सामने अनेकों में एक उदाहरण है, जहां आम समाज से छीनकर पानी को कुछ कंपनियों की संपत्ति बनाया गया था। हमारी सरकार समेत तीसरी दुनिया के कई देशों की सरकारें पानी को बाजारू जिन्स में बदलकर बेचने को उतारू बैठी हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य देशों की दोहा में हुई मंत्रीस्तरीय वार्ता में पानी के निजीकरण की राह में आने वाली बाधाओं को नीतियां बनाकर दूर करने पर जोर दिया गया था। हमारे देश में बनी कथित राष्ट्रीय जलनीति इन्हीं वार्ताओं के दबाव का नतीजा है।

इन दिनों देश की नदियों को आपस में जोड़ने का एक नया शिगूफा छोड़ा गया है। जब कि वास्तव में आज जरूरत हमें नदियों से जुड़ने की है। यदि हम नदियों से जुड़ पाये तो प्रदूषण का शिकार हमारी नदियां साफ हो जायेंगी, सदानीरा हो जायेंगी। नदियों को जोड़ने के अपने खतरे हैं। इससे देश के राज्यों के बीच और पड़ौसी देशों के साथ विवाद बढ़ेंगे, स्वतंत्र भौगोलिक इकाइयों के बदलाव से पारिस्थितिक सन्तुलन डगमगाएगा, जीवन के आधार जीन पुल यानी जीन भण्डार के स्थानान्तरण से बीमारियों के खतरे बढ़ेंगे और कुल मिलाकर समाज का बचा–खुचा अमन–चैन भी प्रभावित होगा। नदियों के जोड़ने से किनारे रहने वाले समाजों के अधिकारों (राइपेरियन राइट्स) का गंभीर उल्लंघन होगा। और सबसे बड़ी बात कि छोटी–मोटी परियोजनाओं तक के लिए कर्ज का मुंह तकने वाले

यात्रा के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी बात पहुंचाने हेतु आम सभाएं, कार्यशालाएं, नुक्कड़ सभाएं, विशेष बैठकें आदि आयोजित की गई। युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों से विशेष संवाद स्थापित किया। यात्रा में शामिल साथियों ने विभिन्न स्थानों पर जारी पानी के कामों में श्रमदान भी किया।

यात्रा में जलबिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा पानी का काम करने वाले देशभर के वरिष्ठ साथियों की टीम हमेशा साथ रही। सभी राज्यों की जलबिरादरी तथा अन्य व्यक्तियों, संगठनों ने भी इस यात्रा के आयोजन में बहुत मदद की। देशभर के 90 विश्वविद्यालयों ने जलयात्रा के दौरान कार्यक्रम रखे। राष्ट्रीय जल बिरादरी ने सभी के लिए जल साक्षरता में शामिल करने का प्रयास किया। देशभर में 3 करोड़ व्यक्तियों को हम जल संरक्षण का सन्देश देकर जल संवाद को बढ़ा सके। इस यात्रा में सभी वर्ग शामिल हुए। इसलिए इन सब के प्रति हम कृतज्ञ हैं।

जल संगठन की योजना

भारत भर में जल की अधिकता और कमी सब को सता रही है। जगह–जगह जल बचाने की चर्चा और संवाद चल रहे हैं। इसी संवाद को बढ़ाने और हालात को सुधारने की प्रक्रिया को जोड़ने का एक प्रयास पिछले तीन वर्षों से जलबिरादरी नाम से शुरू हुआ है।

जलबिरादरी संस्थाओं या संगठनों का नेटवर्क नहीं है। बल्कि जल, जंगल, जमीन के लिए समर्पित साथियों का भाईचारा है। ये संकट के समय में साथ आकर, संकट से मुक्ति के लिए लड़ते हैं। अभाव मिटाने के लिए स्वयं समर्पित भाव से, श्रम से जल संरचना बनाते हैं।

अन्याय मिटाने के लिए लड़ने वालों की कमी को दूर करने हेतु उत्पादकता बढ़ाने वाले, डूबते को उबारने वाले, दीवानों ने मिल कर एक बिरादरी बनायी है। यह अभी तक 29 राज्यों में वातावरण निर्माण कर रही है। इन सभी राज्यों में जल–दीवानों का दल बन चुका है।

भारत सरकार की जलनीति द्वारा जल पर से समाज के हकों को खत्म करने की जो साज़िश चली है, उसको रोकने की मुहिम खड़ी हो रही है। साथ ही राज्यों की जलनीति में जल पर से समाज का हक नहीं मिटे, इस हेतु जनोन्मुखी जलनीति बनाने की जुम्बिश तैयार की गई है। कई सौ गांवों में श्रमदान द्वारा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कार्य भी चालू हुआ है। राज्य सरकारों पर पानी का काम करने का दबाव बनाया गया है।

कई राज्यों की सरकारों ने इसे रचनात्मक रूप में स्वीकार कर लिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में तालाबों की भूमि से अतिक्रमण हटवाकर तालाब बना दिये गए हैं।

कर्नाटक के हर्टि, असून्डी गाँव भी इसी तरह आगे आये हैं। अब यह जलबिरादरी पूरे देश के हर गाँव व हर शहर को पानीदार बनाने की मुहिम हेतु तैयारी कर रही है। यह रजिस्टर्ड संगठनों के ताने–बाने से अलग रहने वाला पानीदार समाज बना रही है।

उड़ीसा में आदित्य पटनायक ने इसी संगठन के माध्यम से "आगामी उड़ीसा" के नाम से आन्दोलन खड़ा किया है। इस राज्य की ग्यारह नदियाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देने की सरकारी साजिश चल रही थी। इस पर रोक लगवाने वास्ते श्री मुक्तकण्ठ, श्री सुरेन्द्र और आदित्य पटनायक की टीम ने सरकार पर दबाव खड़ा करके उसे रुकवाने की ठान ली है।

उत्तरांचल में सुश्री रुचि पंत, श्री शमशेर सिंह बिष्ट जैसे साथी लगे हुए हैं। यहाँ का पानी सबको समान रूप से मिलता रहे, इस हेतु संघर्षरत हैं। सरकार ने ठान लिया "पानी का हक समाज से छीनकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देना है।" इसे रोकने हेतु समाज को अहसास कराना कि समाज पानी का मालिक बनकर ही सब को पानी पिला सकता है, ऐसा आभास कराना ही जल बिरादरी में सबसे पहला काम तय हुआ है। यह कठिन कार्य श्री शमशेर सिंह बिष्ट जैसे साथी ही आगे बढ़ा रहे हैं। श्री शेखर पाठक जैसे मित्र जल की पहाड़ दृष्टि को उभारने में लगे हैं।

जलयात्रा द्वारा जहाँ वातावरण निर्माण हो चुका है, वहाँ जल योद्धाओं को ढूंढकर जोड़ना अभी शेष है। इनका काम जुड़कर सीधे जहाँ नदियाँ जोड़ने के काम शुरू हो रहे हैं, वहाँ

नदियों के जोड़ने के काम को रुकवाना है। साथ ही नदियों को सदानीरा बनाने की दिशा में काम शुरू कराना है। और धर्म गुरुओं, सत्ताधीशों के घरों के सामने सत्याग्रह करने हेतु नदियों को बचाने की सद्बुद्धि देने वाले "जलयज्ञ" करना है। सबसे पहले कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र को जोड़ने वाले स्थानों पर काम रोकने की तैयारी कर रहे हैं।

कुछ साथी शंकराचार्यों के मठों में "जलयज्ञ" करने की तैयारी में हैं जिनसे भगवान शंकराचार्यों को नदियों के जोड़ने के षड्यंत्र में फंसने से रोक सकें। धर्माचार्यों की भूमिका नदियों को तीर्थ रूप में समर्पित करने वाली होनी चाहिए। लेकिन आज के धर्माचार्य नदियों को व्यापार की वस्तु बनवाने में जुटे हैं। नदियों के साथ होने वाले इस व्यवहार से समाज और सृष्टि में टूटन आयेगी। नदी का व्यापार हमे गंगा को "माँ" कहने से रोक देगा। व्यापारी गंगा को "माँ" नही रहने देंगे। हम फिर मुक्त होकर इसमें स्नान नहीं कर सकेंगे।

आज हम भारतवासी अपने देश की सभी नदियों को माँ मानते है। किसी भी नदी में जाकर हम स्नान कर सकते हैं क्योंकि नदियाँ हमारी हैं। हम नदियों की सन्तान हैं। नदी जोड़ने वाली कम्पनियाँ और सरकारें इस रिश्ते को भंग करती हैं।

नदी समझौता हमारी सृष्टि की सभी प्राकृतिक रचनाओं में बाधा पहुँचा रहा है। इन बाधाओं को दूर करना सबसे पहली जरूरत है। इस काम में हमारे सभी साथियों का एक समूह लगा हुआ है। इस सावन मास में नदियों के किनारे कावड़िये आते हैं। उनका नदियों के साथ आध्यात्मिक रिश्ता कितना गहरा है, यह सब समझे बिना हम नदी जल को कन्धे पर रखकर पैदल लेकर जाने के मूल संस्कार क्या हैं, उनकी याद दिलायें।

नदियों के जुड़ने से कावड़िया संस्कार कहाँ – कैसे बचेगा? क्योंकि आज जिस चरित्र में नदियां बह रही हैं, वह उनका जल मूल और पवित्र तो नहीं है। प्रदूषित है। इसलिये नदियों का जुड़ना – प्रदूषण और भ्रष्टाचार का जुड़ाव है। इसे रोकने हेतु हमें कावड़ लेकर भ्रष्टाचारियों के सामने खड़ा होना है। कावड़ संघ को अपनी नदियों का मूल चरित्र बनाने में जुटना ही होगा। तभी उनके कावड़ लाने का पुण्य, अगली पीढ़ी को मिलेगा। नदियों का जोड़ना रुकेगा। इस प्रकार का वातावरण निर्माण कार्य चालू हो गया है।

समाज आस्थाओं के अनुरूप देशभर की 30 नदियों को जिन 37 स्थानों पर जोड़ने की प्रक्रिया सरकार शुरू करने वाली है। उन सब दलालों , अधिकारियों, नेताओं, सभी सत्ताधीशों की आत्म–बुद्धि–शुद्धि हेतु अहिंसक सत्याग्रह करेंगे। ये सब निर्णय राष्ट्रीय जलबिरादरी ने जगह–जगह समाज से मिलकर लिए हैं। समाज ही स्वयं इनकी शुरुआत करेगा। जलबिरादरी की भूमिका समाज की तैयारी कराना है। जहाँ समाज तैयार होने लगा है, वहाँ पर जल आन्दोलन की शुरुआत हो गयी है।

जलबिरादरी ने अभी तक तीस राज्यों के बाढ़–सुखाड़ क्षेत्र की जलयात्रा पूरी कर ली है। आज कल जगह–जगह सामलाती संसाधन बनाये रखने की योजना पर संवाद व भावी कार्यक्रम संचालित करने की जिम्मेदारियों का निर्धारण हो रहा है। हमने भारत सरकार की जलनीति एक अप्रैल और पाँच जून को जलाई। जलाने के प्रभाव को ध्यान में रखकर ही आगे के कदम तय हो रहे हैं। जिन स्थानों पर एक अप्रैल व पाँच जून को भारत सरकार की नई जलनीति को जलाया गया, उन्हीं स्थानों से सत्याग्रह आगे बढ़ेंगे।

बिहार, केरल में नदियों को जोड़ने के विरोध का स्वागत करके, अन्य राज्य सरकारों को भी नदी को जुड़ने से आने वाले

खतरों को समझाने की कोशिश जारी है। वैसे सभी नेताओं को भविष्य के साधनों की व्यवस्था नदियों के जुड़ने में आसान दिखाई दे रही है। नदी जुड़ने के समझौते से लेकर निविदाओं तक में लाभ ही लाभ है। नदियाँ जोड़ने के काम हेतु आगे आने वाले सलाहकार, मशीनें सभी कुछ देने वाले ही हैं। इन्हीं से जेब गर्म होगी। फिर ऐसी योजनाओं को क्यों बन्द कराएँ? चुनाव में धन की जरूरत होती है। अभी चुनाव चल ही रहे हैं। इसलिए अधिकतर मुख्यमंत्री नदी जोड़ने के पक्ष पर ही रहेंगे। यह जानते हुए ही जलबिरादरी इसके विरुद्ध वातावरण बनाने में अपना समय लगा रही है।

हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने वास्ते मुख्यमंत्रियों से मिलकर उन्हें नदी जुड़ने के दुष्प्रभाव समझाने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है। हम नदियों को जोड़ने वाले कार्य, एवम् पानी के निजीकरण को रोकने हेतु समाज को संघर्षशील बना सकेंगे। समाज जहाँ खड़ा हो जायेगा, वहाँ पानी का निजीकरण रोक कर ही जल का सामुदायीकरण होगा। हम अपने ही श्रम से जल संरक्षण की मुहिम खड़ी कर सकते हैं। अब जल पर समाज का हक बचाने की जो मुहिम चल रही है उसी से समाज और सृष्टि जल की मालिक बनी रह सकेगी। जलबिरादरी का यही सपना जल्दी प्रत्यक्ष पूरा होगा। जल पर समाज व सृष्टि का हक कायम रखने हेतु समर्पित जलबिरादरी अन्त तक संघर्षरत रहेगी।

जलबिरादरी दृष्टिकोण और दिशा

राष्ट्रीय जलयात्रा को जलाने वाले संगठन राष्ट्रीय जल बिरादरी का मानना है

जल जीवन का आधार है। जल हमारे भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। प्रकृति प्रदत्त इस संपदा का उपयोग हमारा अधिकार है, लेकिन जल के सामलाती हितों पर व्यावसायिक हित हावी हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेरोक–टोक पानी उपलब्ध हो, ऐसे विधान बनाये जा रहे हैं। लेकिन अभी जन हेतु जल उपलब्धता की कोई गारण्टी नहीं है। जल से जीविकोपार्जन करने वाला समाज उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जो कि यहां पानी का बाजार खड़ा कर रही हैं, की तरफ ताकने को मजबूर है।

पानी पर लोगों के दृष्टिकोण को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से बनी "जलबिरादरी" की सोच और दिशा पर एक संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत है।

पानी का समाज के साथ परम्परा, विश्वास, और श्रद्धा का सम्बन्ध है। पानी के महत्व का निर्धारण हमारे लिये, सृष्टि के लिये या प्राकृतिक जीवन के लिये किसी कानून, व्यवस्था या जरूरत के आधार पर नहीं हुआ है, अपितु यह महत्ता प्रकृति ने स्वयं निर्धारित की है। पानी के स्रोतों का समाज के साथ जो रिश्ता रहा है, उसको संरक्षित करने में समुदाय ने संवेदनशील और जिम्मेदारीपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया है। हम मानते हैं कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है और इस संसाधन का संरक्षण हर उस समूह का दायित्व है जो इसका उपयोग करता है।

बाजारवाद, व्यावसायीकरण, औद्योगीकरण और समाज पर तेजी से हावी होती आर्थिक विकास की अवधारणा के मद्देनजर पानी

के मौलिक मूल्य को भारी–भरकम आंका जा रहा है। व्यावसायिक संस्थायें और शासन व्यवस्था इसे भारी आय–अर्जन के स्रोत के रूप में पहचान रही हैं। उनकी इसी सोच का परिणाम है कि पानी जैसे प्राकृतिक और अमूल्य संसाधन पर से समाज का नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। इसे व्यावसायिक वस्तु बना दिया गया है और जलस्रोत निजीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं जल संकट और बाढ़ दोनों ही समस्याएँ प्रतिवर्ष कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं।

इसी सोच पर विगत लम्बे समय से लगातार मंथन करते हुए समाज का एक बड़ा वर्ग, जिसमें संस्थाएॅ, संगठन, पत्रकार, बुद्धिजीवी, किसान, जन–प्रतिनिधि, नीति–निर्माता और सामान्य जन शामिल हैं, पानी के सामुदायीकरण के सिद्धान्त की पुनर्स्थापना के विचार से जुड़ा। इस क्षेत्र में होते रहे संघर्ष, रचना और विचार के प्रयासों से लम्बी प्रक्रिया से गुजर कर पानीदार संवेदनशील समाज की स्थापना की अवधारणा अस्तित्व में आना शुरू हुई। पानी के सम्बन्ध में जब भी अधिकार और दायित्व की बात हो, हम मानते हैं कि इन्सानी समुदाय का इससे प्रत्यक्ष जीवन्त सम्बन्ध है। इसी विचार से जलबिरादरी की अवधारणा की शुरुआत हुई।

जलबिरादरी का जन्म

20 से 22 अप्रैल, 2001 में तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र ग्राम नीमी में इसका प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन से जलबिरादरी की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारम्भ की गई। जलबिरादरी के अंतर्गत भारत सरकार की प्रस्तावित जलनीति को केन्द्र में रखते हुए बिरादरी के कार्य को गतिमान किया गया और इसके माध्यम से बिरादरी का फैलाव और विस्तार हुआ । देशभर से हजारों साथी इस प्रक्रिया से जुड़े और विभिन्न भू–साँस्कृतिक क्षेत्रों में इसका गठन हुआ। जलबिरादरी एक परिवार के रूप में कार्य

करती है। राष्ट्रीय जलबिरादरी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मेग्सेसे पुरुस्कार विजेता श्री राजेन्द्र सिंह, जो तरुण भारत संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, को दी गई । देश के हर राज्य में प्रादेशिक जलबिरादरी गठित की जा रही है।

1 अप्रैल, 2002 को भारत सरकार ने जलनीति घोषित की। इस नीति में सामान्य जनता, ग्रामीण समुदायों के हितों को नजरंदाज करते हुए बड़े उद्योगपति, बड़े किसान और निजी कम्पनियों के हितों को ही प्राथमिकता दी है। अतः इस नीति के सुधार हेतु संघर्ष भी जलबिरादरी का एक लक्ष्य उभर कर आया है।

दृष्टिकोण

भारत के गांवों और शहरों में जल की गम्भीर समस्या है। दूसरी तरफ जन सहभागी जल व्यवस्था के उदाहरणों ने यह दिखाया है कि समस्या का मुख्य कारण जल प्रबन्धन में अव्यवस्था है, न कि जल की कमी। अतः जल समस्या के समाधान का एक ही हल है कि लोगों को वर्षा की एक--एक बूँद का संग्रहण करने हेतु जागरूक किया जाए। जन सहभागी जल संरक्षण व्यवस्था से हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर अकाल मुक्त हो सकते हैं। यह तभी सम्भव है जब समुदाय जागृत व संगठित होकर अपने जल की व्यवस्था हेतु केवल सरकार पर निर्भर न रहते हुए खुद भी पहले करे। इसके लिए जरूरी है कि पारम्परिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए और जल संग्रहण को आगे बढ़ाया जाए ताकि वर्षा के पानी का अधिकतम संग्रहण किया जाकर विकेन्द्रित जल प्रबन्धन प्रणाली को पुनः स्थापित किया जा सके। जलबिरादरी का एक पानीदार समाज बनाने का सपना है। इस सपने में अपेक्षा की गई है कि कम से कम सरकार पानी को विलासिता की वस्तु न बनाए। पानी पर आम आदमी का अधिकार रहे और उन परम्पराओं का संरक्षण हो, जिनसे पानी के स्रोत महत्वपूर्ण बने रहते हैं।

अनुभव बताते हैं कि जन सहभागिता के अभाव में समस्याएँ बढ़ती नजर आती हैं। अभी यह महसूस कर लेना भी जरूरी है कि समुदाय जल संरक्षण के कार्यों में स्वयं पहल करे, संसाधन जुटाए तभी यह उनकी निगरानी और रखरखाव के प्रति पुनः संवेदनशील हो पायेगा।

जलबिरादरी सरकार की नीतियों को ज्यादा मानवीय बनाने और समाज के ज्यादा करीब लाने का प्रयास करेगी। अभी जलबिरादरी यह महसूस करती है कि जल नीति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पहली पानी की जरूरत किसे है। उसका पहला अधिकार बने। पहले समाज को अपना पानी पर अधिकार बनाये रखने, यानी पानी के लिये संगठन चाहिए। इसके बाद समाज के जिन लोगों का जीवन पानी पर निर्भर है, उनके लिये पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जैसे–केवट, मल्लाह, मछुआरे, कछारी, खेती करने वाले, धीमर आदि। फिर कृषि के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योगों को पानी तभी दिया जाना चाहिए जब उपरोक्त तीनों वर्गों की जरूरत को पूरा किया जा चुका हो।

पानी की कमी के कारण जानवरों और मवेशियों की स्थिति का जो चित्र सामने आ रहा है, वह अत्यन्त ही भयावह है। तथ्य यह है कि पानी की कमी के कारण जैव विविधता प्रभावित हो रही है। चारे की कमी हो रही है जिससे पशुधन के अस्तित्व पर संकट आने लगा है। स्वाभाविक तौर पर जलबिरादरी का यह भी एक मानवीय दायित्व है कि वह इन्सानों के साथ–साथ जानवरों और पशु संपदा के संरक्षण पर भी ध्यान केन्द्रित करे।

पानी विकास की मौजूदा पद्धति में विशाल, केन्द्रीकृत परियोजनाओं को ही केन्द्रीय महत्व का स्थान प्राप्त है जिसके चलते बड़े पैमाने पर विस्थापन और पर्यावरण का भारी नुकसान तो होता ही है, लाभों का बँटवारा भी समतामूलक नहीं होता और आर्थिक दृष्टि से भी ये परियोजनाएँ लाभदायक नहीं रहतीं।

केन्द्रीकृत परियोजनाओं को तवज्जो देने से विकेन्द्रित, जनसहभागी कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और उनको पर्याप्त संसाधन भी नहीं मिल पाते। इससे विषमता भी बढ़ती है। इस परिस्थिति को सुधारने के बदले सरकार ने पानी के संसाधनों को लोगों और समुदायों से छीनकर निजी व विदेशी कम्पनियों के हाथों में देने की नीति अपनायी है जिससे ये सारी समस्याएँ और गम्भीर हो रही हैं।

विकेन्द्रित, जन सहभागी जल प्रबन्धन प्रणाली को खत्म करने वाली ऐसी विशाल केन्द्रीकृत परियोजनाएँ (जैसे बड़े बाँध, बड़ी नदियों को जोड़ना) तथा निजीकरण की नीतियों का भी विरोध करना जरूरी है ताकि विकेन्द्रित परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सके। इन दोनों प्रक्रियाओं पर बराबर जोर देना होगा। ऐसा करने से एक न्यायपूर्ण, स्थायी जलविकास और प्रबन्धन कायम हो सकेगा जिसकी निर्णय प्रक्रिया और नियन्त्रण जनता के हाथों में होगा।

स्वरूप

जलबिरादरी आपस में मिलकर जनसहभागी जल संरक्षण के लिए काम करेगी जिसमें मुख्य भूमिका लोगों की होगी। जल के जन आन्दोलन के विकास के लिए बिरादरी राज्य, अंचल, जिला ब्लाक और गाँव स्तर पर बिरादरियों का गठन कर रही है। इसका कोई संस्थागत ढाँचा नहीं है। अपितु कार्य सुचारु ढंग से चलाने हेतु कुछ अनौपचारिक व्यवस्था बनाई गई है। हर व्यक्ति, संस्था जो इसके उद्देश्य तथा अवधारणा से सहमत है, इसका सदस्य बन सकता है।

जल बिरादरी के मूल्य

- जलबिरादरी समाज के उस हिस्से का एक समूह है जिसमें आम व्यक्ति, संस्थायें, संगठन, आन्दोलन, सामाजिक

कार्यकर्ता, पैरवीकार, लेखक, कलाकार, जनप्रतिनिधि, राजनेता, मजदूर, किसान और व्यापारी हर कोई शामिल है।

- यह समूह विश्वास करता है कि पानी एक साझा प्राकृतिक संसाधन है। यह किसी की सम्पत्ति नहीं है। चाहे वह व्यक्तिगत हो, संस्थागत हो या राष्ट्रीय।
- पानी सबसे पहले उसे मिलना चाहिए जो जीवन के अस्तित्व हेतु पानी प्राप्त करने के लिये लगातार संघर्ष करता रहता है। यह अमानवीय है कि जीवन के लिये पानी की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। महिलाओं के जीवन का बड़ा हिस्सा पानी का भार वहन करने में व्यतीत हो रहा है। इस प्रवृत्ति को स्थायी बनाने से रोकना जरूरी है।
- पानी जैव विविधता के लिए सबसे अहम् है और पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक। पानी के लिये कोई भी नीति या योजना बनाते समय इस तथ्य को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिये। यह व्यवस्था, संगठन और समाज सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जैव विविधता और पानी के परस्पर सम्बन्ध को नुकसान पहुँचाने वाला कोई कदम न उठाये।
- हमारी संस्कृति, परम्परा, धर्म और सामाजिक जीवन में पानी की परिभाषा को पुनर्स्थापित करना हमारा दायित्व है।
- पानी के उपयोग का सिद्धान्त तय करने की दिशा में समुदाय और सामुदायिक संस्थाओं को पहल करनी होगी।
- अलग–अलग भू–साँस्कृतिक क्षेत्रों की प्रकृति और जरूरतें भिन्न हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उन समस्त भिन्नताओं के आधार पर व्यावहारिक और जनोन्मुखी जलनीति का निर्माण किया जाये।

उद्देश्य

- जनहितैषी जलनीति बनाने के लिये निरन्तर कार्य करते रहना।
- पानी के न्यायपूर्ण और स्थायी विकास के लिये व्यापक राष्ट्रीय अभियान चलाना।
- पानी के क्षेत्र में विदेशी पूँजी और बड़ी कम्पनियों के आक्रमण को रोकना और समुदाय के स्तर पर सामूहिक व्यवस्था बनाने के लिये कदम उठाना।
- पानी के विकास के वे तरीके जिनमें बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है तथा पर्यावरण की हानि होती है, उनको नकारते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए काम करना।
- लोगों को जल संग्रहण और उसके प्रबन्धन के लिए जागृत करना और इसे राष्ट्रीय जल आन्दोलन का रूप देना।
- स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पानी पर काम करने वाले समूहों/समुदायों और व्यक्तियों को एक मंच पर लाना ताकि उनके मध्य सक्रिय संवाद बनाकर एक–दूसरे के अनुभवों को, जानकारियों और कौशल को आपस में बाँटा जा सके एवं एक–दूसरे की मदद की जा सके।

आगे के काम

- हाल ही में घोषित नई राष्ट्रीय जलनीति की समीक्षा हेतु देश के विभिन्न अंचलों में जन सुनवाइयों का आयोजन किया जाए जिसमें राष्ट्रीय जलनीति की कमियों को उजागर करते हुए भारत सरकार से मांग की जाए कि जल को "वस्तु" नहीं मानकर सार्वजनिक संसाधन जीवन का आधार माना जाये और जल का निजीकरण न करे बल्कि इसके स्थान पर जल

संरक्षण व जल प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देकर इसका सामुदायीकरण करें।

- राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार राज्यों को भी अपनी जल नीति बनानी है। राज्यों की जल नीति से समुदाय की अपेक्षाओं पर अपने–अपने राज्यों में समुदायों से चर्चा की जाए। इस बहस के जरिये राज्य सरकार को सुझाया जाये कि राज्य जल नीति का स्वरूप क्या हो? प्रत्येक राज्य में जनोन्मुखी जल जरूरत पूरी करने वाले जनसमुदाय द्वारा संचालित विकेन्द्रित जल प्रबन्धन को बढ़ावा देने वाली जल नीति बने।
- स्थानीय स्तर से लेकर प्रादेशिक/राष्ट्रीय स्तर तक जलबिरादरी से जुड़ी संस्थाओं और लोगों में संवाद को और सक्रिय किया जाये।
- भारत के प्रत्येक भू–सांस्कृतिक क्षेत्र में समाज जल का अनुशासित उपयोग करने हेतु फसल चक्र बदलने, भूजल भण्डार को भरने वाले कानून–कायदे, जलदस्तूर बनाने की तैयारी कराने बाबत जल आयोग बनाये। जो प्रत्येक राज्य को जल संसाधनों पर श्वेत पत्र जारी करे।
- नदी जोड़ के दुष्प्रभाव हैं। उनकी समझ बढ़ाने, जहां पर नदी जोड़ भयानक परिणाम देने वाले हैं, वहां उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शान्तिमय सत्याग्रह करके रोकें।
- नदी जोड़ के बजाय समाज को नदियों के साथ जोड़ने का प्रत्यक्ष कार्य करे।
- जल सहेजने का सब जगह प्रत्यक्ष कार्य शुरू करायें।
- विकेन्द्रित जल प्रबन्धन योजनाओं को समाज द्वारा संचालित करायें। एक तरफ हमारी सरकार 73–74वां संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायतों व नगर निकायों को जल का

अधिकार दे रही है। दूसरी तरफ संविधान विरोधी जल नीति 2002 बनाई है। हमें ग्राम पंचायतों व नगर निकायों को उनके संवैधानिक हक बचाने हेतु सक्षम बनाना है।

- राष्ट्रीय जलकोष बनवाना। ग्रामस्तर पर जलकोष बने।
- छोटी–छोटी नदी–घाटी के संगठन बनाकर जल प्रबन्धन में समाज को लगाना।

पिछले वर्षों में हम जलबिरादरी को प्रदेश के विभिन्न अंचलों, जिलों तक ले जा चुके हैं। इस वर्ष की हमारी प्राथमिकता ब्लाक तथा इससे नीचे के स्तर तक ले जाने की है। इसलिए अब जमीनी स्तर पर जलबिरादरी की भूमिका को सक्रिय बनाने की दिशा में पहल की जाये जिससे देशभर में सब जगह विकेन्द्रित जल प्रबन्धन व जल संरक्षण के कार्य शुरू हो सकें। जल का मर्यादित उपयोग करके भूजल भण्डार भरें। नदियाँ प्रदूषण मुक्त सदानीरा बनें। समूह का जुड़ाव, समुदाय का जल पर हक कायम रखते हुए अपने जीवन को पानीदार बना सकें। भारत पानीदार बनाने में जुटे।

पानी के लिये यात्रा

राष्ट्रीय जल यात्रा की तैयारी

5–6 मार्च, 2002 को दिल्ली में राष्ट्रीय जलबिरादरी का सम्मेलन हुआ, उसमें राष्ट्रीय जल नीति को बदलवाने के लिए भारत सरकार के तीन केबिनेट मन्त्री भी आये। देशभर के जलयोद्धा व जलकर्मी आये। सबने जलनीति बदलवाने के संकल्प लिये। प्रधान मन्त्री जी से मिलकर उन्हें इस नीति के दोषों से अवगत कराया गया, उन्होंने आश्वासन दिया।

हम उनके आश्वासन के क्रियान्वयन का इन्तजार करते रहे। 6 माह की प्रतीक्षा के बाद पुनः ज्ञापन दिया गया। अन्त में 16–17 नवम्बर को गुजरात में साबरमती नदी के किनारे कोबा में मिले। वहाँ से जलयात्रा करने का निर्णय लिया गया। घोषणा के अनुसार बापू की समाधि नई दिल्ली से यह जलयात्रा शुरू हुई। 23 दिसम्बर से सड़कों पर निकल कर समाज ने जलनीति के विरुद्ध शान्तिमय संघर्ष की घोषणा कर दी।

राष्ट्रीय जलयात्रा का पहला चक्र पूरा हुआ। 23 दिसम्बर, 2002, को महात्मा गाँधी की समाधि राजघाट, नई दिल्ली से शुरू करके यह यात्रा हरियाणा, राजस्थान होते हुए 30 जनवरी, 2003 को गुजरात के साबरमती आश्रम पहुंची थी। वहां से पुनः गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल होते हुए 15 मार्च को यह यात्रा दिल्ली पहुंची। फिर वहां से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू पहुंची। 29 मई को कांचीपुरम् में यात्रा के इस दौर का राष्ट्रीय जल सम्मेलन के रूप में समापन हुआ और 1 जून से राष्ट्रीय जल यात्रा का तीसरा चरण शुरू हुआ। कन्याकुमारी, त्रिवेन्द्रम से पूरा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, होते हुए पंजाब विश्वविद्यालय में इस दौरे का समापन सम्मेलन हुआ।

चौथे दौर में अधिकतर छोटे–छोटे कार्यक्रम जलयात्रा के अनुसार – अनुपालना व उन्मुखीकरण के कार्यक्रम के रूप में आयोजित हुए। पाँचवां चरण यू. पी., बिहार, बंगाल, झारखण्ड तथा उड़ीसा का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा। इसी तरह छठवाँ सुखाड़ग्रस्त का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, तमिलनाडू में आना–जाना रहा।

10 जनवरी से फिर केरल में सतत यात्रा करके महाराष्ट्र, उत्तरांचल, यू. पी., बिहार बंगाल, आसाम के डिब्रूगढ़ में 30 मार्च, 2004 को जलयात्रां का सातवाँ दौर समापन हुआ।

इस यात्रा के पहले चरण में भारत में सक्रिय जल माफिया की घुसपैठ जगह–जगह दिखाई दी। वर्षा वाले हजारों किलोमीटर के इलाको में भी छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ जैसे प्यासे गांवों की बड़ी संख्या दिखी। पानी का बाजार सब जगह गर्म एवं लूट के बाजार की तरह दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की शिवनाथ, केलो, उड़ीसा की महानदी पर कब्जा करने वालों के हाथ और आँखें दिखाई दिए। इन्हीं क्षेत्रों में कुछ जगह पर ग्रामीणों द्वारा किए गए जल प्रबन्धन के सफल प्रयोग देखने को मिले। उड़ीसा के सिमली पाल योजना क्षेत्र में पुर्णापानी और कुन्दबहाली, कर्नाटक के अन्सूडी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के बहुत से गांव – समाजों द्वारा किए गए पानी के कुशल प्रबन्धन के तरीकों से पुष्ट दिखाई दिए।

इस यात्रा के दौरान बहुत सी जगह समाज के सफल प्रयासों को देखकर विश्वास होता है कि जो लोग पानी की महाजनी के लिए उसी पर नियंत्रण करके पानी का व्यापार कायम करना चाहते

हैं, वे सफल नहीं हो पाएंगे। पानी की तिजारत करने वाली बिवन्डी, स्वेज लिओनेज, डेस ड्योक्स, बैचटेल, कोका कोला, पेप्सी आदि कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां शामिल हैं। इन्हें भारत छोड़ कर जाना ही पड़ेगा। भारत का पानी इनके व्यापार और मुनाफा कमाने हेतु नहीं है।

इसी तरह से हमारे देश के विकास के मंदिर कहलाने वाले बड़े बांध भी बड़ी संख्या में दिखाई दिए। इन बांधों के उद्देश्यों में लिखे हुए ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई और बाढ़–मुक्ति के आंकड़े बहुत ही उत्साहित करने वाले थे। लेकिन इन आंकड़ों में कहीं भी अनुभव और अनुभूति की चमक दिखाई नहीं दी। हीराकुड बांध के नीचे थोड़ी ही दूरी पर चन्दनकुटी और चन्द्रीमार गांव में सूखा दिखाई दिया वहीं 500 वर्ग मील के कटक डेल्टा को बाढ़–मुक्त करने की प्रस्तावना थी। वह 45 साल के बाद भी सन् 2001–2002 में बाढ़ से प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ में भी भयानक सूखे की चपेट में खाली हाथ बैठे गांव के लोग घर छोड़कर बाहर जा रहे थे। मध्य प्रदेश भी कुछ पानी का काम करके नाम कमाने में तो सफल हुआ है। लेकिन अभी भी वहां सूखा और अकाल की चपेट भयानक दिखती है। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, झारखंड और बिहार भी पानी की कमी से त्रस्त और दूसरे कुछ इलाकों में पानी के प्रदूषण की बीमारियां सता रही हैं। बिहार का बांका, झारखंड का हजारीबाग और देवघर जिले का एक बड़ा हिस्सा भी सूखा प्रभावित गावों को गोद में लिये हुए था। वाटरशेड डवलपमेंट के नाम पर चल रही सरकारी परियोजनाओं में पानी नहीं दिखाई दिया। परियोजना के दफ्तर सब जगह दिखाई दिये।

उत्तरांचल के टिहरी बांध क्षेत्र में एक तरफ महिलाएँ घंटों चल कर पानी लाती हैं। तो दूसरी तरफ हजारों लीटर पानी बहाने वाला नए टिहरी शहर का परिवार भी कुछ पुरानी यादें करके दुःखी

होता हुआ मिला। हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर हुए जलयात्रा के स्वागत में स्वर्गीय श्री मदनमोहन मालवीय द्वारा बनायी गई गंगा सभा के कार्यकर्ताओं का व्यवहार उत्साहवर्द्धक था। लेकिन उन सबको गंगा में अविरल निर्मल जल के बहाव की कमी सता रही थी। वहीं शाम को गंगा मां की आरती देखकर हमें लगा कि आज भी हमारे समाज का नदियों के साथ वैसा ही जुड़ाव है। नदियों से भारतीय समाज का जुड़ाव और नदी के साथ समाज के आत्मीय रिश्ते नदियों को जोड़ने की बहस को ठोकर मार रहे हैं। नदियों को जोड़ने की बहस जो भी हो, गंगा मां की आरती पर समाज में जो आस्था है, वह मर जाएगी। फिर हमारा समाज इस तरह आत्मा से बैठकर गंगा का ध्यान नहीं कर सकता। रुड़की आई. आई. टी. में वहां के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ जलयात्रियों को बातचीत करके अच्छा लगा। ये विद्यार्थी और शिक्षक पानी की परम्परा के बारे में काफी सवालों के साथ मौजूद थे। लेकिन एक भी शिक्षक और विद्यार्थी में यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि उसने अपने हाथ से पानी का काम किया है। आज की शिक्षा पानी के चित्रों से तो हमें जोड़ती है। लेकिन पानी के काम से हमें तोड़ती है। इस तरह मेरठ, गंगा–जमुना का दोआब पानीदार समाज का प्रसिद्ध क्षेत्र भी बेपानी दिखाई दिया। हमारी राजधानी दिल्ली में गंगा–जमुना का पर्याप्त पानी आने के बाद भी बेपानी बनते समाज के दर्शन ही यहां हुए। सुबह रास्ते के किनारे के नालों में पानी बहता, सड़ता दिखाई दिया, लेकिन सहजता के साथ विकेंद्रित प्रबंधन व्यवस्था से उभरता और निर्मल बनता हुआ पानी कहीं नहीं दिखाई दिया। इस यात्रा के अंत में मन में यह आता है, कि आज हमारे समाज को पानीदार बनाने के लिये जगह–जगह पानी से प्रेम बढ़ाना पड़ेगा और सबको ही पानीदार बनने में जुटना होगा।

जल यात्रा सेवाग्राम, वर्धा पहुंची। इस यात्रा के दौरान अभी तक 30 लाख व्यक्तियों ने बोतल बंद पानी नहीं खरीदने का संकल्प

लिया है। 317 स्थानों पर तालाब बनाने का काम शुरू हुआ है। शिवनाथ नदी को उद्योग व निजी हाथों से मुक्त कराने का वातावरण निर्माण हुआ। बेपानी लोग पानीदार बनने के लिए खड़े हुए। महाराष्ट्र राज्य विकसित कहलाता है। यहां गन्ना पैदा करके धरती का पेट खाली कर दिया गया है। इस राज्य में भारत के 40 प्रतिशत बड़े बांध हैं। इन्हीं बांधों ने पहले तो गन्ना आदि पैदा करके एक तरफ कुछ अर्थ अर्जित किया। दूसरी तरफ गरीबी बढ़ाई। आज भी गांव में एक तरफ हरियाली, दूसरी तरफ उजाड़ तथा पीने का पानी ढोता हुआ टेंकर मिलता है।

महाराष्ट्र यात्रा में पानी की कमी का रोना ही सुनते रहे। फिर भी अंगूर, गन्ने की फसलों की किसानों को चिंता है। यहां अब कुछ किसान सजीव खेती की तरफ देख रहे हैं। बाजारू खेती को गाली दे रहे हैं। लेकिन सजीव खेती अपनाने वालों को कोई प्रोत्साहन नहीं है। हमारी सरकार बाजारू खेती को ही प्रोत्साहन देती है। क्योंकि किसान की मेहनत पहले बाजार में बेमोल लूटकर कुछ धनी सेठ मजा कर रहे हैं। ये ही तो सत्ता को पोषित करते हैं। इसलिए पूरी सत्ता बाजारू फसलों के प्रोत्साहन में लगी है। अब कई किसान भुक्तभोगी होकर बाजार की लूट से मुक्त होने के लिए तड़पते दिख रहे हैं।

शोलापुर में बहुत से सजीव खेती के सफल प्रयोग देखने को मिले। सजीव खेती धरती से लेन–देन का हिसाब संतुलित रखती है। सजीव खेती में कम पानी, कम खर्च, छूट मुक्ति है। यह स्थायित्व देने वाली धरती का उपजाऊपन बनाए रखने वाली है। इसी खेती से हमारा समाज पानीदार बना रह सकता है। विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र आज जहां एक तरफ पानी की कमी से तड़फ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गांववासियों ने मिलकर हिरवे बाजार गांव को हराभरा बना दिया है। यहां के इस कार्य को शुरू करने वाले

युवा श्री पोपट पवार के प्रति ग्रामीणों में भी कृतज्ञता बोध दिखता है।

महाराष्ट्र के बाद यात्रा ने गोवा में प्रवेश किया। यहाँ पर यात्रा केवल दो दिन रही । जलयात्री पणजी तथा अन्य कई जगहों पर पुराने तालाब देखकर बहुत खुश हुए और याद आया कि हमारे देश में दिल्ली से गोवा तक सभी जगह एक से तालाब हैं। गोवा जैसे आधुनिक राज्य में आज भी कुछ गांवों में तालाबों से खेती और घर के सभी काम पूरे हो रहे हैं। यहां के तालाबों की इंजीनियरिंग राजस्थान के तालाबों से बिल्कुल मिलती-जुलती है। गोवा के दो सूखे हुए गांव देखकर आश्चर्य हुआ। इन दोनों गावों के कुएं सूखे हुए थे। इन कुओं को सुखाने का काम यहां के पानी बाजार ने किया है। यहां के कुओं में अच्छा मीठा पानी था। उसे टैंकरों ने खींच-खींच कर गोल्फ के मैदानों की सिंचाई तथा बोतल बंद बाजारों में बिक्री ने यहाँ का पानी सुखा दिया। पानी की कमी के कारण यहां के खेत खाली हैं, यहां के नागरिकों ने कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और जीत गए हैं। फिर भी यहां पानी का बाजार गरम है। अब यहां की पंचायत भी नागरिकों के साथ मिलकर पानी की कम्पनी के खिलाफ लड़ रही है। गोवा के शहरी कचरे ने एक गांव का तालाब पूर्णतया नष्ट कर दिया है। और फौजी छावनी ने गंदे पानी के स्रोतों को प्रदूषित कर दिया। इस प्रदूषण के खिलाफ गांव में आक्रोश खड़ा हो रहा है।

गोवा के बाद कर्नाटक सीमा पर कर्नाटक जल-बिरादरी के अध्यक्ष श्री डी. आर. पाटिल ने जल यात्रा का स्वागत किया। धारवाड़ के माधोड़ गांव में तालाब की खुदाई के काम से यात्रा की शुरुआत हुई। कर्नाटक यात्रा में सभी पार्टियों के राजनीतिक नेताओं ने भी हिस्सा लिया। यहां के कई साधु-संन्यासी भी शामिल हुए। यहां के श्रंगेरी पीठ के जगत गुरु श्री स्वामी के जन्मदिन तक छह सौ

तालाबों का काम करने का निर्णय उनके भक्तों ने लिया। उनमें से कुछ कार्य चालू हैं। कुछ पूरे हो गए हैं। इस राज्य के अध्यक्ष ने बताया कि यात्रा के दौरान बहुत सारे नए गावों में तालाबों के पुनःनिर्माण का संकल्प लिया गया। इसमें हजारों खेत कुण्ड बन गये। कुछ नए कार्य शुरू हुए हैं। कुछ गावों के लोगों ने मिलकर कई सुन्दर तालाब बनाए हैं। इन तालाबों का काम समाज ने केवल श्रमदान से किया है। इस काम से हमारे यात्रा दल का बहुत उत्साहवर्द्धन हुआ।

कर्नाटक की यात्रा में प्रतिदिन कम–से–कम चार सभाएं होती थीं। इन सभाओं में श्रोताओं की संख्या पांच सौ से लेकर पच्चीस हजार तक रही। ज्यादातर सभाओं में पानी के निजीकरण को रोकने के लिए बोतल बंद पानी खरीद कर नहीं पीने एवं "बुट एग्रीमेंट" के तहत नदियों के निजीकरण को रोकने का संकल्प उत्साहवर्द्धक रहा। साथ ही साथ धरती का पेट पानी से भरने के लिए नए तालाबों का निर्माण तथा पुराने तालाबों की गाद की सफाई के कार्य को तेज करने की प्रतिबद्धता दिखी। कर्नाटक की यात्रा बहुत ही भव्य एवं विशाल सभाओं वाली रही। यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पानी के काम से जुड़ने में प्रतिबद्धता भी दिखाई।

कर्नाटक से निकलकर आंध्र के मुख्यमंत्री के विधान सभा क्षेत्र कुप्पम में प्रवेश किया। यहां के अधिकारियों ने यात्रा का स्वागत किया और हाईटेक बाजारू खेती हमें दिखाई। इस खेती को देखकर हम आगे बढ़े। आन्ध्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र में हम बढ़ते चले गये। त्रिचूर जिले में "गांधी शान्ति केन्द्र" के आयोजकों ने कई अच्छी सभाएं आयोजित कीं। इसके बाद अनन्तपुर जिले के कोदाली गांव में गए। जहां पर दो दिन पहले ही पानी की कमी के कारण कई लोगों ने आत्महत्याएं की थीं। वैसे तो इस हाईटेक राज्य में पिछले तीन–चार महीनों में लगभग 345 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। यहां

अकाल राहत के सरकारी काम भी चलते देखे। ये ज़्यादातर काम मशीनों से चल रहे थे। काम के बदले अनाज योजना में मशीनों से यहां पहला कार्य देखने को मिला। यहां के हाईटेक शहर हैदराबाद से निकलने वाली भूशी नदी अब मर गई है और एक नाले का रूप लेती जा रही है। हम तेलंगाना के प्रसिद्ध क्षेत्र वारंगल पहुंचे। यहां के एक ईमानदार जिलाधीश और परियोजना निदेशक ने काम के बदले अनाज योजना में नेताओं की मशीनों को नहीं लगने दिया है। इस जिले के लोग भी तालाब की गाद हटाने के कामों में लगे हुए थे। इस प्रकार यह यात्रा खम्भम में आकर खत्म हुई। खम्भम एक सूखा क्षेत्र है। लेकिन यहां पर कोकाकोला कम्पनी ने धरती से पानी निकालने की फैक्ट्री लगाकर धरती का पेट खाली कर दिया है। यह नक्सलवादी प्रभावित इलाका होने के बावजूद सूखे और अकाल की मार झेलते हुए कोकाकोला कम्पनी को कैसे चलने दे रहा है, यह सब हमारी समझ से बाहर है।

खम्भम से चल कर विजयवाड़ा, नेलोर होते हुए यात्रा ने तमिलनाडु में प्रवेश किया। यहां पर ठक्कर बापा विद्यालय में सर्वोदय कार्यकर्ताओं, सर्वोदय के वरिष्ठ विचारकों ने यात्रा का स्वागत किया। यहां की पूरी व्यवस्था श्री एन. कृष्णास्वामी के नेतृत्व में श्री अन्नामलाई ने की थी। सबसे पहले दिन ठक्कर बापा विद्यालय की सभा के बाद कुथाबक्कम में इंलिंगो के नेतृत्व में कुछ पंचायत नेताओं के साथ मिलना हुआ। त्रिवलूर के कलेक्टर ने यात्रा का स्वागत किया और यहां के महिला मंडल ने अपने पानी के संकट का रोना रोया। इस इलाके में बहने वाली वर्षा नदी बिल्कुल सूखी पड़ी है। इसके बाद हम विनदिवानम जिले में पहुंचे। यहां महिलाओं की एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। यहां से तन्जौर होते हुए मनापराई के ग्रामोदय संस्थान में ठहरे। यहां पर महिलाओं की तीन बड़ी सभाएं हुई तथा तमिलनाडु जल सप्लाई विभाग के वैज्ञानिकों के कुछ

काम दिखाए गए। ये सब कार्यक्रम गांधी विचारों से प्रभावित पुरानी संस्थाओं के काम थे।

गांधीग्राम के संचालकों ने अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत एवं जल संरक्षण क्षेत्र में अपने काम बताए। मदुराई धान फाउण्डेशन एवं गांधी आश्रम ने मिलकर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें हमने तमिलनाडु जैसे राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए परम्परागत जल प्रबन्धन पर जोर दिया और कहा कि आज महात्मा गांधी होते तो पानी के हक को बरकरार बनाए रखने के लिए सत्याग्रह करते और तालाब बनाने का रचनात्मक संदेश देते। प्रत्येक गांव में एक तालाब और शहरों के प्रत्येक मोहल्ले में तालाब बनाने की बात रखी गई जिसे सभी ने स्वीकारा। मदुराई के बाद विलाईईतीकुलम में सभा का आयोजन हुआ। यहां पर सभी धर्मों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सभा हुई। तमिलनाडु की यात्रा अनोखी थी। सभी जगह कुछ नया था। इस राज्य की यात्रा सभी जगह गांधीवादी विचारकों व कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हुई।

श्री शंकराचार्य द्वय कांचीपुरम में राष्ट्रीय जल सम्मेलन में श्री शंकराचार्य व श्री टी. एन. शेषन, बहुत से सरकारी इंजीनियर व आन्दोलनकारी शामिल हुए। ये तमिलनाडु सरकार पर अच्छा दबाव बनाने में कामयाब रहे। भूजल भण्डारों को पुनः भरने की माँग वहाँ के मुख्यमन्त्री से की। उन्होंने इसे मानकर भूजल पुनःभरण पर बहुत जोर दिया और अच्छा नियम बनाकर जल संरक्षण कार्य शुरू कराया। श्री शंकराचार्य जी ने नदी जोड़ के दुष्प्रभाव समझ कर इसे रोकने हेतु तैयारी दिखाई।

उ. प्र. मेरठ हस्तिनापुर इन्द्रप्रस्थ कहलाने वाला भूभाग गंगा–यमुना के दोआब की वजह से बना होगा। लेकिन अब जो यहाँ हिन्डन, काली, गंगा–यमुना सब केवल जहरीले पानी वाली नदी बन

गई हैं। यहाँ से कानपुर जाते-जाते गंगा का चरित्र बिल्कुल बदल जाता है। वहां वह केवल गन्दा नाला बन जाती है। इलाहाबाद प्रपात्र में जाने पर फिर बड़ा रूप बना लेती है, करोड़ों की संख्या में भारतीय श्रद्धालु यहां स्नान करते हैं। इसकी शुद्धता वास्ते हजारों करोड़ खर्च हुआ। लेकिन इसकी गन्दगी बढ़ती गई। गंगा आज कचरा ढोने वाली रेल बन गई है। यहाँ के समाज को भी अभी तक नदियों की पवित्रता और पहाड़ों की हरियाली की चिन्ता नहीं है। यहाँ समाज ने अपनी नदियों को नहीं बचाया तो समाज टूट जायेगा। उ. प्र. में समाज को नदियों के साथ जुड़ने की बहुत जरूरत है।

बिहार में हम मुख्यमन्त्री एवम् श्री लालू प्रसाद यादव जी से मिले। उनके राज्य के सुखाड़-बाढ़ पर बातचीत की तो उन्होंने उससे मुक्ति के विषय में चुप्पी साध ली। बाढ़ विस्थापितों के पुनर्वास सहायता पर 200 प्रत्येक परिवार सहायता, 200 प्रत्येक पशु पाने की क्षतिपूर्ति के कानून का जिक्र करते हुए हमने आज की जरूरत अनुसार बदलने की बात कही। उनके द्वारा नदी जोड़ के विरोध की बधाई दी।

जल के निजीकरण को रोकने वाली नीति बनाने की पहल बिहार से करने का निवेदन किया। बिहार की जनसभाओं में बाढ़ के साथ जीने वाली बातों पर बहुत जोर दिया। यहाँ के समाज ने उसका स्वागत भी किया। बिहार में नदियों के कटाव-जमाव की समस्या बहुत बढ़ गई है।

बिहार में अब पलायन बहुत ज्यादा हो गया है। इसे रोकने की कोशिश अब जल प्रबन्धन बिना सम्भव नहीं है। इस प्रदेश में बाढ़ नेपाल की तरफ से आती है। इससे बचाने वास्ते अपने क्षेत्रों में फसल चक्र व बाढ़-सुखाड़ के साथ जीवन वाली जीवन पद्धति ही हमे सुख समृद्धि के रास्ते पर लेकर जायेगी।

विकसित कहलाने वाला 44 नदियों का राज्य केरल आज सूखा प्लास्टिक से भरा दिखता है। जहाँ पहले चावल होते थे, आज वहाँ केवल नये सीमेन्ट के जंगल दिखाई देते हैं। यहाँ दुकानें भी विदेशी प्लास्टिक के सामान से भरपूर हैं। पहाड़ों का नंगापन, नदियों के कटाव–जमाव बढ़ रहा है। जल प्रदूषण की भयानक समस्याएँ यहां दिखाई दीं।

जम्मू–कश्मीर में जहां एक तरफ सुन्दर वादियां हैं, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती नंगी पहाड़ियां मन को दुखी करती हैं। यहां के नौजवान बन्दूक छोड़कर पानी के कार्यों में लगने हेतु लालायित हैं। इस प्रदेश की संस्थाएं इस दिशा में सक्रिय दिखाई दीं। आर्मी से लौटे कुछ जवान–अधिकारी इन पहाड़ों को पुनः हरा–भरा व सुख–समृद्धि वाला, शान्ति प्रिय राज्य बनाना चाहते हैं। हमने यात्रा में ऐसे साथियों को पेड़, पानी बचाने में लगने की अपील की।

पंजाब पानी वाला प्रदेश माना जाता है। लेकिन यहां पानी नहीं है, ऐसा कहना मुश्किल है। परन्तु यहां पानी की बरबादी और प्रदूषण बहुत ज्यादा है। इसके कारण यहां के बहुत बड़े क्षेत्र का भूजल भण्डार खाली हो गया है। यहां कई क्षेत्र डार्क जोन घोषित हो चुके हैं। पंजाब में कई क्षेत्रों में जल संरक्षण के सरकारी कार्यक्रम चालू हैं । लेकिन समाज इनके साथ नहीं जुड़ा है। यहाँ के स्वर्ण मन्दिर में जिस बावड़ी से पहले पानी मिलता था, वह अब सूख गई है। दूषित पड़ी है। यहां के मुख्य नेताओं के साथ इसे देखा तो इसका पुनः जीर्णोद्धार करने का सुझाव दिया।

हिमाचल के सोलन जिले में पानी की कमी के कारण बिन नहाये रहे। सोलन के साथियों ने कुछ जल संरक्षण कार्य शुरू भी किया है। हिमाचल एक तरफ पानी का प्रदेश है, दूसरी तरफ सूखे का राज्य भी दिखाई दिया। यहां की राजधानी बेपानी हो गई है।

निजीकरण के विरुद्ध प्रवाहों में उत्साह है। लेकिन सरकारें पानी को बेचकर धन कमाने को बड़ा काम मानती हैं। यहां यात्रा में मीडिया ने बहुत रुचि लेकर जल बचाने के पक्ष में लिखा। यह राज्य भी नदियों के जोड़ परियोजना के पक्ष में नहीं है।

उत्तर–पूर्व प्रदेश आसाम, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल देश के पेय जल की 40 प्रतिशत पूर्ति वाले राज्य बन सकते हैं। इनके पास बर्फीला, वर्षा का पवित्र जल है। लेकिन यहाँ प्रबन्धन ठीक नहीं है। इसलिए इनकी भी जल समस्याएँ बढ़ रही हैं।

उत्तर–पूर्व के राज्यों के पास आज भी ब्रह्मपुत्र में पर्याप्त जल है और बहुत सी नदियां पानी वाली हैं। पानी की अधिकता वाले होने के बावजूद ये नदियों को जोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। बाढ़ यहाँ बहुत कुछ देती है। कष्ट के साथ मछली, लकड़ी, उपजाऊ मिट्टी–पानी, फसलें और जीवन देती है। नदियां ही यहाँ धरती बनाती है। अब ब्रह्मपुत्र को चीन अपने प्रदेश में मोड़ रहा है। ज्यादातर पानी ऊपर ही रुकेगा। फिर ब्रह्मपुत्र में भी अधिकतर पानी नहीं रहेगा। यहां के राजनैतिक दल नदी जोड़ के विरोध में जुटे हैं। इन्होंने यात्रा में बहुत सहयोग दिया है।

उत्तर–पूर्व के राज्य भारत से अलग होना चाहते हैं, ऐसा हमारे राजनेता प्रस्तुत करते हैं। सरकार इस विषय में जो प्रस्तुत करती है, वह ठीक नहीं। अभी भी वहाँ का समाज अलग देश बनाने के पक्ष में नहीं है। यहाँ समाज आज भी पानी बचाने, उसे पवित्र रखने के विषय में बेखबर है। अभी यहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध है। यहाँ के चार सौ वर्ष पहले जयसागर, शिवसागर व गौरीसागर नामक बहुत बड़े टांके देखने को मिले। इन्हें देखकर एक बात साफ हुई, जहाँ जल है, वहाँ उसका प्रबन्धन भी करने के कार्य समाज करता ही था। तभी तो एशिया का सबसे बड़ा कुण्ड अधिक वर्षा के क्षेत्र

आसाम राज्य के शिवसागर जिले में बना। वहां के लागों ने शहर का नामकरण भी कुण्ड के नाम पर ही किया। यहां एक तरफ वर्षा का आधिक्य है। दूसरी तरफ बड़े–बड़े कुण्ड हैं, जो यह बताते हैं कि पूरा देश पानी सहेजने में एक जैसा ही था। परम्परागत जल प्रबन्धन की विकेन्द्रित व्यवस्था यहां बहुत ही मजबूत थी। अभी वह खत्म हो गई है। इसे पुनः जीवित करने का भाव यहां के समाज में जन्मता दिखाई दिया। आसाम में ही इस राष्ट्रीय जलयात्रा का समापन होना था। इसलिए इस वर्ष के विश्व जल दिवस 22 मार्च, 2004 को उत्तर–पूर्व में जलयात्रा शुरू होकर 30 मार्च को डिब्रूगढ़ में ही सम्पन्न हुई।

राष्ट्रीय जलयात्रा का अन्तिम चरण 18–19 मई को चित्रकूट, बान्दा (उ. प्र.) में सम्पन्न होगा। यहाँ नदी जोड़ परियोजना का शुभारम्भ केन–बेतवा लिंक के कार्य से सरकार करेगी। राष्ट्रीय जल बिरादरी इसे रोकने हेतु शान्तिमय सत्याग्रह शुरू करेगी। सत्याग्रह की शुरुआत ही राष्ट्रीय जल यात्रा का समापन होगा।

राष्ट्रीय जल यात्रा : एक अध्ययन

यह यात्रा 23 दिसम्बर, 2002 को शुरू होकर 19 मई, 2004 को चित्रकूट में सम्पन्न हुई। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका फालोअप भी चालू है। इस यात्रा में 3.50 करोड़ लागों से जल सहेजने और जल का अनुशासित उपयोग करने की बातें हुई जो कि देश भर में जल बचाने व उसका अनुशासित उपयोग करके समाज को पानीदार बनने की मुहिम खड़ी कर सके।

1. यात्रा का उद्‌भव

1 अप्रैल, 2002 को भारत की राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गयी। जल पर कार्यरत अधिकतर प्रबुद्धजनों को लगा कि यह नीति भारत में पानी के केन्द्रीकरण को बल देगी व एक ऐसा माहौल तैयार करने में सहायता करेगी जिसमें पानी के नियोजन व रखरखाव में निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़े।

जल नीति के साथ ही सरकार ने देश की 37 नदियों को जोड़ने की एक विशालकाय योजना की भी घोषणा की। ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न नदी घाटियों के बीच पानी का स्थानांतरण होगा। यह योजना बाढ़, अकाल तथा अपर्याप्त कृषि औद्योगिक विकास जैसी कई राष्ट्रीय समस्याओं के लिये रामबाण सिद्ध होगी।

निजीकरण की इस छाया में स्थानीय समुदायों के साथ जल संवर्द्धन पर कार्य करने वाले कई गुटों तथा जल योद्धाओं को लगा कि संसाधनों तथा जन संगठनों को गहरा खतरा हो सकता है जिन्हें स्थानीय समुदायों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने खून–पसीने से बनाया व सींचा है।

जल संसाधनों, भूमि व वनों के रखरखाव में सर्वमान्य है कि वर्तमान में अपने प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने व उनका प्रबन्धन न कर पानी के अधिकार से जल समुदाय का वंचित होना है। इस अधिकार के न होने की वजह से ही जल (और इसलिये भूमि व वन) संसाधनों के प्रबन्धन में जन–जन की रुचि घट रही है।

अतः जलयोद्धाओं का मानना था कि नई नीतियां जन समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों के सामूहिक प्रबन्धन से और भी विमुख करेंगी। ऐसे में भावी समय में भारत को गंभीर आर्थिक व पारिस्थितिक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इन परिणामों की सबसे अधिक मार समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को ही झेलनी पड़ेगी ।

भविष्य के खतरों को छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल व अन्य राज्यों में घटित होने वाली हाल की घटनाओं ने और उजागर कर दिया। कई राज्यों में जल संसाधनों का निजीकरण ("बूट" या अन्य तरीकों से) किया गया या किया जा रहा है। ऐसी जगहों में स्थानीय जन अधिकारों की खुले आम अवहेलना की गई तभी ये अधिकार राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्रों को सौंपा गया।

उपरोक्त संदर्भ में "राष्ट्रीय जलबिरादरी" का जन्म हुआ। यह बिरादरी देश भर में काम करने वाले जल – योद्धाओं, संस्थाओं, वैज्ञानिकों व चिंतित नागरिकों का एक मंच है। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में पानी के मुद्दों पर कार्य करने वाले हर संगठन व व्यक्ति को वार्तालाप व सकारात्मक संघर्ष में जोड़ना है।

जलबिरादरी को भारत में कार्यरत सिविल सोसायटी को राष्ट्रीय जल नीति व "नदी जोड़ो" परियोजना के खतरों से जागरूक करने की तीव्र जरूरत महसूस हुई। जन–जन के विचारों को समझने के लिये एक "राष्ट्रीय जल यात्रा का आयोजन किया गया।

2. राष्ट्रीय जलयात्रा के उद्देश्य

राष्ट्रीय जल यात्रा के निम्न उद्देश्य थे –

– पानी के संयमित उपयोग व जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा बढ़ाने हेतु जन–जन में जागरूकता फैलाना।

– "पानी पर नागरिक का मौलिक अधिकार है।" इस मुद्दे पर तथा सरकार के निजीकरण की नीतियों व "नदी जोड़ो" परियोजना के खतरों से जन–जन को आगाह करना।

– पानी के संवर्धन व प्रबन्धन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं से मिलना।

– देश के अलग–अलग कोनों में कार्य करने वाले जल योद्धाओं को एक ताने में बुनना ताकि निजीकरण पर एक समुचित प्रहार किया जा सके।

– राज्य व राष्ट्रीय जल नीतियों को अधिक जनोन्मुखी बनाने हेतु एक समूह–शक्ति तैयार करना।

19 महीने की अवधि में यह यात्रा भारत के 29 राज्यों के 300 जिलो में गई। इन राज्यों में 17 राज्य तो अकालग्रस्त हैं। पानी के मुद्दों पर कार्यरत असंख्य व्यक्तियों से यह यात्रा 90 शहरों/कस्बों व 3 महानगरों तथा बहुत से गावों में मिली।

3. यात्रा में उभरे मुद्दे

3.अ. भूमिगत व सतही जल संसाधनों का देशभर में व्यापक ह्रास हो रहा है। जिससे पानी की अत्यधिक कमी हुई व इससे उत्पन्न गंभीर परिणामों को सारा देश भुगत रहा है। प्रकृति अपने आपको

पुनर्जीवित करने की शक्ति तेजी से खो रही है और मानव व प्रकृति हेतु पानी की उपलब्धता तेजी से घट रही है। बाढ़ व अकाल के चक्र अब कम अवधि में लेकिन ज़्यादा विकरालता से होने लगे है।

जमीन के ऊपर व अंदर के जल के दोहन से जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है और "डार्क जोन" में आने वाले जिले तेजी से बढ़ रहे हैं।

3.ब. पेय जल

साफ पीने लायक पानी की उपलब्धता बहुत तेजी से गिर रही है। जिससे देश के कई हिस्सों में शोषक जल के बाजार उत्पन्न हो रहे हैं। 1952 में योजना आयोग के अनुसार भारत में 232 गांव पेयजल रहित थे। 2002 में यह संख्या 90,000 थी।

जिन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध है, वहां पेयजल जनित बीमारियां व मानव तथा पशु हेतु पेयजल इकट्ठा करने का श्रम बढ़ रहा है, जो कि अधिकतर महिलाओं पर पड़ रहा है।

भूमिगत व सतही जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से तथा औद्योगिक व घरेलू जल प्रदूषण से पेयजल की गुणवत्ता तेजी से घट रही है व फ्लोराइड आर्सेनिक तथा खारापन व इनसे जनित बीमारियाँ भी बहुत अधिक फैल रही हैं।

3.क. बड़े बांधों के अपूर्ण वायदे

जल संसाधनों के प्रबन्धन के आधुनिक तरीकों – जैसे मध्यम व बड़े बांध, नहर द्वारा सिंचाई, इत्यादि की तरफदारी करने वालों द्वारा देश को अकाल व बाढ़ से मुक्त कराने के वादे किये गये थे। ये वादे झूठे साबित हुए हैं व कई राज्यों में बड़े बांध ही अकाल व बाढ़ के कारण बन चुके हैं। बड़े बांधों के सामाजिक व पारिस्थितिकीय दुष्प्रभावों का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है।

इसके बावजूद राज्य द्वारा नर्मदा व टिहरी जैसे बांधों को बनाया जा रहा है। उड़ीसा का हीराकुंड सफल बांध माना जाता है। इस बांध के बाद भी कटक बाढ़ ग्रस्त है। इसके आस पास भी सूखी फसलें व सूखे गांव यात्रा को मिले।

3.ड. जल संबंधी विवाद

स्थानीय स्तर पर जल के ऊपर समान अधिकार न होने के कारण जल उपयोग संबंधी कई तरह के विवाद उपज रहे हैं :–

- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में
- कृषि, उद्योग, ऊर्जा इत्यादि के बीच
- समृद्ध तथा पिछड़े वर्गों के बीच
- "ऊंची" तथा "निचली" जातियों के बीच
- नदी घाटी ऊपर तथा नीचे वालों के बीच
- राज्यों के बीच
- उद्योगों व स्थानीय समुदायों के बीच

3.इ. सिंचाई हेतु जल

सिंचाई हेतु जल संसाधनों का बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है जिससे खाद्यान्न सुरक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पानी का असंयमित उपयोग वाटर इन्टेसिव फसलों हेतु भी किया जा रहा है। उदाहरण हेतु महाराष्ट्र में देश के 3700 बांधों में से 1600 बने हैं व वहां भारत के जल संसाधन विकास का 40 प्रतिशत धन खर्च हुआ है। इसके बावजूद राज्य के 45,000 में से 6,000 गावों में पेयजल का गंभीर संकट है। इन गावों में पानी टैंकरों द्वारा दिया जा रहा है जिससे कुछ लोग काफी मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन्हीं क्षेत्रों में दूसरी तरफ गन्ने जैसी अधिक पानी पीने वाली फसलों की उपस्थिति अजीब–सी स्थिति उत्पन्न कर रही है। कुछ क्षेत्रों में

बिजली तथा नहर के पानी की वजह से पानी के असंयमित उपयोग से बढ़ावा मिल रहा है। नहर की सिंचाई द्वारा कई क्षेत्रों में ऊसर जमीन की मात्रा बढ़ रही है।

पानी की बढ़ती कीमत से देश के अधिकांश हिस्सों में पानी दूध से भी महंगा हो गया है तथा दुग्ध उद्योग को गहरा खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह कृषि तथा इससे जुड़े हुये उत्पादों की कीमत बढ़ रही है।

3.फ. वैश्वीकरण के दबावों से उत्पन्न दुष्प्रभाव

राष्ट्रीय जल नीति यह कहती है कि पेयजल तथा सिंचाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन वस्तुस्थिति में उद्योग तथा शहरों में पेयजल को अधिक प्राथमिकता मिल रही है। पानी के क्षेत्र में निजी कम्पनियों के आगमन को म्युनिसिपल तथा राज्य द्वारा जल प्रबन्धन की असफलता के विकल्प के रूप में दर्शाया जा रहा है और आशा की जा रही है कि अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में पानी के गहराते हुये संकट दूर होंगे। लेकिन इस तरह के निजीकरण से गरीबतम वर्ग पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ सकते है, जिनके पास पानी का मूल्य चुकाने की क्षमता नहीं है, वे सब नष्ट होने लगे हैं या नष्ट होने लग जाएंगे।

सरकार द्वारा जल संसाधनों को निजी कम्पनियों को "बुट" इत्यादि स्कीमों के तहत सौंपा जा रहा है। इसका मुख्य कारण राजनीतिज्ञों, नौकरशाही व उद्योगपतियों के बीच का गठजोड़ है। लेकिन इस तरह की नीतियों से गरीब, आदिवासी व स्थानीय समुदायों को अपने जीवन की मूलभूत जरूरतों हेतु पानी से कटना पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़, उड़ीसा व केरल इत्यादि में देखा गया है कि निजी कम्पनियों के फायदे को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय जन

समुदायों के हितों को कैसे दरकिनार कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी रेडियस को दे दी थी। इसके विरुद्ध राष्ट्रीय जलयात्रा ने नदी के किनारे के लोगों में चेतना जगा कर इस सरकारी सविंदा (ठेके) को रद्द करा के नदी को वापस समाज के नियन्त्रण में दिला दिया।

उड़ीसा राज्य ओड नामक पानीदार जाति के पानी का काम करने वाले इंजीनियरों से बना था। आज यहां की महानदी, वैतरणी नदी जैसी बड़ी नदियों को सरकार ने बड़ी कम्पनियों को देना तय कर लिया था। जलयात्रा ने वहां आगामी उड़ीसा का नारा देकर इन ठेकों को देने से रुकवाया। विधान सभा में हंगामा हुआ। अन्त में ये अभी निजी कम्पनियों के हाथों जाने से रुक गई हैं।

केरल 44 नदियों वाला राज्य है। यहां की नदियों, तालाबों पर निजी कम्पनियों का नियन्त्रण बहुत तेजी से बढ़ा है। कोका कोला ने पलाचीमडा तक के पानी को बेचकर किसानों के कुएँ सुखा दिये हैं। लोग बेघर होने लगे। पेप्सी ने पुन्दसेरी पंचायत का पानी धरती से निकाल कर बेचा। लोग बेघर होने लगे। तब पलाचीमडा और पुन्दसेरी ने इसे रोकने की लड़ाई लड़ी और पंचायत की जीत हुई। जलयात्रा ने इस निर्णय को देशभर में समाज को सुनाया। इस निर्णय के यज्ञ में जन समर्थन जुटाया। देशभर में इस प्रकार जल व्यापार और जल शोषण रुके, ऐसी कोशिश करी। जहां–जहां भी पानी के व्यापार के उद्योग थे, वहीं उनके विरुद्ध सांकेतिक धरने, सत्याग्रह, सम्मेलन आयोजित हुए हैं।

पानी हेतु होने वाली किसानों की आत्महत्याओं को रोकने का आन्ध्र के कोदायली के रायलसीमा, महबूब नगर, अनन्तपुर आदि जिलों में आत्महत्या से बचाने का वातावरण निर्माण किया। कर्नाटक के गदग जिले को भी आत्महत्या से बचाने वास्ते पानी की व्यवस्था

सामुदायिक प्रयासों से कराई। जलयात्रा ने समाज को पानीदार बनाने हेतु तैयार करके लोगों के जल हित को संरक्षण प्रदान कराया।

3.ग. नदियों को जोड़ना

नदियों को जोड़ने की योजना निश्चित रूप से असफल होगी क्योंकि किसी भी नदी घाटी (बेसिन) में अधिक (सरप्लस) पानी नहीं है। कई साल पहले 3 लिंक नहरों का निर्माण शुरू हुआ था– सतलज–यमुना, कावेरी–गोदावरी, गोदावरी–महानदी। काफी खर्च और समय के पश्चात् भी ये लिंक सफल नहीं हो पाये क्योंकि कोई भी राज्य यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके पास जरूरत से अधिक पानी है। जनता के पैसों की बहुत बड़ी बर्बादी का दूसरा नाम नदी जोड़–योजना है।

नदी जोड़ योजना की बात नेहरू जी ने शुरू की थी। तभी से के. ए. राव, कैप्टन दस्तूर जैसे बहुत से लोगों ने इसके नाम पर बहुत नाम–पद–पैसा कमाया। लेकिन समाज को नदियों से दूर कर दिया। नदियों की पवित्रता और पहाड़ों की हरियाली हेतु कुम्भ–महाकुम्भ की परम्परा को पहले की तरह जीवित करने का सन्देश दिया। नदियों को जोड़ने के नाम पर बाढ़ – सुखाड़ मुक्ति की बात से भ्रमित होने को रोका। नदियों के साथ समाज को जोड़ने की बात सबके सामने रखी। इसे सरकार ने माना। जलयात्रा के नायक श्री राजेन्द्र सिंह को इस हेतु एक विभाग बनाकर उसका अध्यक्ष बनने की पेशकश श्री सुरेश प्रभु, टास्क फोर्स के अध्यक्ष ने दिल्ली में की। श्री राजेन्द्र सिंह ने सरकारी समूह का अध्यक्ष बनने से मना कर दिया; लेकिन नदियों के साथ समाज को जोड़ने का कार्य करते रहने की प्रतिज्ञा करी।

सरकार के नदी जोड़ के जो स्थान है, उन सब स्थानों पर समाज को नदी जोड़ के प्रत्यक्ष दुष्प्रभावों से अवगत कराया। और

लोगों की तैयारी के बावजूद राजनैतिक दलों की खींचतान से बचाते हुए नदी जोड़ को प्रत्यक्ष रोकने हेतु बांदा में सत्याग्रह की तैयारी कर रहे है।

उत्तर–पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी बचाओ आन्दोलन की शुरुआत की है। गुवाहटी में श्री हेमभाई इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु तैयार हैं।

नदी जोड़ के दुष्परिणामों को समझने हेतु नदी जोड़ का सरकारी योजनानुसार कपड़े पर मानचित्र बनाकर सब जगह दिखाया और समझाया। इस अभ्यास ने बहुत से लागों को नदी जोड़ के भ्रम को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है।

नदी जोड़ को समझने–समझाने का काम कार्यशाला व राष्ट्रीय जलयात्रा के आरम्भ से ही शुरू हो गया था। गुजरात में नर्मदा–साबरमती जोड़ का भ्रम जाल स्पष्ट किया। नर्मदा का पानी कई जगह लिफ्ट करके अहमदाबाद में केवल नदी पुल के पास थोड़ा–सा पानी डाला है। केवल जनता को भ्रमित करने बाबत जो कुछ गुजरात सरकार ने किया, उसे समाज के बीच जाकर चर्चा में उजागर किया।

सतलज–यमुना लिंक, कावेरी–तेलगू गंगा के लिंक फैलियर के विषय में जानकारी हरियाणा–पंजाब–दिल्ली में छपती रही। कर्नाटक–तामिलनाडु में भी बहुत स्पष्ट करने की कोशिश की। इस कार्य में दक्षिणी राज्यों में चर्चा का विषय रहा।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अरवरी, रूपारेल, भगाणी, सरसा, जहाजवाली नदी आदि नदियों के साथ समाज को जोड़ने के अनुभव सुनाये । इन अनुभवों से नदियों को सदानीरा निर्मल, व प्रदूषण मुक्त बनाने की प्रक्रिया को समझाया। इस बदलाव की प्रक्रिया ने पूरी यात्रा में पानी के रचनात्मक और संघर्षात्मक पक्षों को उभारा है। इस तरह पानी का काम देशभर के किसी भी कोने में करके अकाल

और बाढ़ से मुक्ति पाई जा सकती है। नदियों को जोड़ने से देश को बाढ़ व सुखाड़ से मुक्ति नहीं मिल सकती। देश को बाढ़ व सुखाड़ से मुक्ति दिलाने हेतु अलवर, जयपुर की तरह जरूरतोन्मुखी विकेन्द्रित जल संरक्षण व जल प्रबन्धन करना होगा। ऐसा करने से सूखी नदी सदानीरा बन जाती है। खेती में रोजगार बढ़ जाता है। सबको पानी और पानी पर समान हक मिल जाता है। इस तरह की व्यावहारिक बातचीत ने समाज को जल बचाने के काम को बढ़ावा देने, नदियों को सदानीरा बनाने तथा प्रकृति व पर्यावरण के विपरीत नदी जोड़ को रोकने के अनुकूल देशव्यापी वातावरण निर्माण किया है।

3.ह. पारम्परिक जल स्रोतों की अवहेलना

भारत के हर कोने में पारम्परिक जल स्रोतों का भंडार है, जो कि इस क्षेत्र की पारिस्थितिकीय मौसम व भौगोलिक–सांस्कृतिक परिवेश की विविधता से उपजी है। भारतीय संस्कृति व विभिन्न धर्मों में जल को पूजनीय माना गया है और देश में अभी भी पानी के संयमित उपयोग का जल दर्शन काफी सशक्त है।

इस सबके बावजूद देश के हर कोने में पारम्परिक जल स्रोतों की अत्यधिक अवहेलना हुई है। इन स्रोतों के रखरखाव हेतु जनसमुदाय अब सरकार पर निर्भर हो गया है।

तरुण भारत संघ ने राजस्थान में पारम्परिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया है। इस काम ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी राज्यों में जल संरक्षण की परम्परागत विधियों को पुनर्जीवित किया है और वातावरण बनाया है और इस हेतु देश भर में किसानों के साथ 4500 सभाओं में बहुत अच्छे से बोला। सभी सभाओं में बताया कि भारतीय समाज को जलदर्शन की समझ थी और जलकर्म को साझा कर्म मानकर सब काम अपनी–अपनी जिम्मेदारी से होता रहता

था। इससे समाज जुड़ता था। पानी की पवित्रता का खयाल रखा जाता था। कम पानी में भी समाज अपना काम चलाता रहता था।

भूतल का जल सहेजने हेतु ताल, कुण्ड, सरोवर, बांध, जोहड़, जोहडी, खडीन, व कैरू आदि बने थे। अधोभूजल के लिए कुइयाँ, कुएँ, सुरंगम आदि बनते थे। कभी हमने पाताल तोड़ कुएं बनाकर केवल धरती का पेट खाली करने का कार्य ही नहीं किया बल्कि धरती का पेट भरा भी था। जितना धरती से पानी लिया उतना ही धरती को दिया भी था। इसीलिए हमारे परम्परागत जलस्रोत जिंदा रहे। आज हमारा जलदर्शन बदल गया है। इसीलिए भूजल भण्डार खाली हो गये और सूखी धरती के ऊपर हम प्यासे हैं। उक्त बातें यात्रा में परम्परागत जल प्रबन्धन की अच्छाई को उभार सकी थी। ये बातें सभी राज्यों में, जहां जल यात्रा गई वहां सबसे सुनने को मिली।

3.इ. अच्छे प्रयासों से सीख

सकारात्मक दृष्टि से देखा जाये तो देश के हर कोने में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां जन समुदायों ने पानी के संरक्षण व प्रबन्धन का काम बखूबी किया है। इन प्रयासों से न सिर्फ जल की उपलब्धता बढ़ी है बल्कि अकाल व बाढ़ के विरुद्ध सुरक्षा भी पक्की हुई है। पीने के पानी तथा सिंचाई हेतु पानी में बढ़ोतरी होने से पलायन रुका या कम हुआ है तथा कृषि व इससे जुड़े हुए उत्पादन से ग्रामवासियों की समृद्धि बढ़ी है। ऐसे उदाहरण राजस्थान में अलवर, जयपुर के सैकड़ों गावों में नीमीगांव से लेकर महाराष्ट्र के हिरवे बाजार जैसे कई गावों में सफल प्रयोगों में नजर आते हैं।

इन अनुभवों से देश के हर हिस्से में जल के ऐसे विकेन्द्रित तरीकों व तकनीकों को बढ़ावा देने की जरूरत उभरती है जो कि

स्थानीय सांस्कृतिक–भौगोलिक व मौसम की विविधता को समेट सके।

उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक व आन्ध्र आदि राज्यों में अच्छे कामों की सीख से कुछ नये काम शुरू हुए है। इस यात्रा के वातावरण निर्माण से दो सौ जगहों पर नये काम शुरू हुए है। ये कार्य अब अन्य प्रदेशों में नीचे से शुरू हुए तो सरकार को भी सीखने की जरूरत हुई। केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों के मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल हुए एवं जलयात्रियों से मिले तथा उनसे बातें कीं। लोगों ने अपने राज्यों में जहां जरूरत पूरी करने वाली जलनीति बनाने को कहा वहीं जल के निजीकरण के विरुद्ध भी कुछ बोले और इनको बोलने की मजबूरी भी दिखाई दी। इस सबसे यह तो स्पष्ट हुआ कि हम यदि ठीक दिशा में जनमानस को तैयार करके कुछ काम करते हैं तो उसका प्रभाव सरकारी तन्त्र पर जरूर पड़ता है। यात्रा के दौरान तरुण भारत संघ के "जल संरक्षण" की बातों को देशभर में सबने पूछा और सबको लम्बे अनुभव सुनाने का मौका मिला। इस अनुभवी काम ने समाज के अन्दर के आत्मविश्वास को जगाया। समाज मिलकर पानी का काम कर सकता है। यह अहसास पैदा किया। यह यात्रा अच्छे प्रयासों की सीख का अच्छा मौका पैदा कर सकी है।

4. उपरोक्त मुद्दों पर जलबिरादरी की विवेचना

जलबिरादरी के अनुसार उपरोक्त मुद्दों को निम्न परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए–

- जल मानव का मूलभूत अधिकार है व जीवन का आधार है। यह किसी भी व्यक्ति या राज्य की सम्पत्ति नहीं है। जल प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया वरदान

है जिसका प्रबन्ध हम मानव व प्रकृति के हित के लिये कर सकते हैं।

- पानी कभी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं हो सकता है। यह हमेशा प्राकृतिक संसाधन रहेगा। राज्य (या सरकार) सारे प्राकृतिक संसाधनों की ट्रस्टी है न कि मालिक। ये प्राकृतिक संसाधन जनता के उपयोग व हित के लिये हैं। अतः इन संसाधनों की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। सर्वजन के हित के लिये इन संसाधनों को सरकार निजी सम्पत्ति में परिवर्तित नहीं कर सकती। अतः जल संसाधनों का निजीकरण मानवता के खिलाफ जुर्म है। इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।
- जल का वर्तमान संकट का कारण जल प्रबन्धन की कमी है न कि जल की उपलब्धता की कमी। इसका एक ही उपाय है – जल संसाधनों को इस हद तक पुनर्जीवित किया जाय कि पानी की उपलब्धता (पूर्ति) इसकी मांग से कहीं ज्यादा हो। वैश्वीकरण तथा निजीकरण से लड़ने का एकमात्र दूरगामी तरीका समता ही है।
- अगर गांधीजी जीवित होते तो जल के निजीकरण के खिलाफ जबर्दस्त आन्दोलन छेड़ देते। गरीब व उपेक्षित वर्ग के उत्थान का प्रतीक चर्खे के स्थान पर तालाब बन जाता। गांधीजी जल के संवर्धन व प्रबन्धन हेतु समुदाय के मूलभूत व बेचे न जा सकने वाले अधिकार के लिये लड़ते।
- नदियों को नदियों से जोड़ने के बजाय लोगों को नदियों से जोड़ना चाहिए। इसके लिये स्थानीय समुदायों को अपने जल संसाधनों का नियोजन, संवर्धन, प्रबन्धन व अधिकार स्थानीय, नदी घाटी, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त होना चाहिए।

- जल के संयमित व आदरपूर्ण व्यवहार की परम्पराओं को शीघ्रता से पुनर्जीवित करने की व्यापक आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय जल नीति भारत के दर्शन व साँस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए।
- शहरों में पानी के मूल्यों को इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि 5 सितारा होटल, बड़े उद्योग तथा अमीर कालोनियाँ उचित शुल्क अदा करें। झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले गरीब व पिछड़े वर्गों को नियमित पानी मिले व उनसे उनकी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार ही कम शुल्क लिया जाये।

5. भविष्य हेतु दिशा

- हर राज्य में राज्य स्तरीय जन जल आयोग बने जो कि राज्य की जल स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करे। इसमें राज्य की जलनीतियों में असंगतियां व राज्य तथा राष्ट्रीय जल नीतियों को जनोन्मुखी कैसे बनाया जाये? इस पर भी चर्चा हो।
- जन जल आयोग में कम से कम निम्न सदस्य हों–
  - राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति
  - राज्य के प्रमुख जल वैज्ञानिक
  - जल इन्जीनियर या गजधर
  - महिला सामाजिक एक्टिविस्ट
  - संवाददाता व पर्यावरणविद्
- गांव के स्तर पर जल के स्थाई प्रबन्धन हेतु ग्राम कोष होना अति आवश्यक है जो कि निम्न तरीके से बनाया जा सकता है–

- हर परिवार द्वारा महिने में एक दिन का श्रमदान
- नौकरी करने वाले परिवारों द्वारा महिने में एक दिन का वेतन दान
- हर गांव में अनाज बैंक

- 73वें व 74वें संशोधन के अनुसार पंचायतों व स्थानीय म्युनिसिपल संगठनों को संसाधनों के नियोजन, संवर्धन व प्रबन्धन के अधिकार दिये गये हैं। इन संगठनों को इन कार्यों हेतु उचित सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

- नदी घाटी के स्तर पर संसाधनों का नियोजन, संवर्धन व प्रबन्धन करने के लिये नये सांसदों को बनाना व सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है।

नदियों को जोड़ना सम्भव नहीं, समाज को नदियों से जोड़ना शुभ है।

चुनाव हो चुका है। चुनाव से पहले नेताओं को कुछ आकर्षक घोषणाएं करनी होती हैं। नदियों को जोड़कर, सूखा, अकाल और बाढ़ की मार से बचाने के लिए तथा सबको पानी दिलाने का नारा दिया गया। 5,60,000 करोड़ कर्ज लेकर सबको पानी पिलाना है, इसकी पूरी तैयारी जोरदार ढंग से सभी स्तरों पर चल रही है। राष्ट्रपति भवन, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, सभी जगह पर नदियों को जोड़ने की चर्चा जारी है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जल चेतना यात्राएं, जनसंगठनों, स्वैछिक संस्थाओं के महासंघ, ट्रेड़ यूनियन, नागरिक संगठनों के महासंघ सब ही इसे बेसमझी का नारा बता रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी कहते थे कि इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चुनाव खत्म होते ही इस काम की चर्चा और काम खत्म हो जाएगा लेकिन यह बात इतनी आसान नहीं है। चुनाव के

बाद भी इस चर्चा को रोका नहीं गया और न यह परियोजना रद्द ही हुई है।

नदियों को जोड़ने की परियोजना

1 अप्रैल, 2002 को पारित होने वाली जलनीति का क्रियान्वयन है, नदियों को जोड़ने की घोषणा। राष्ट्रीय जल नीति की भूमिका में जल को व्यापार की वस्तु मान लिया गया है। इस नीति के पैरा 13 में पानी का मालिकाना, पट्टेदारी, परिवहन और निर्माण निजी कम्पनी को देने का निर्णय "नदियों को जोड़ना" ही तो है। आज हमारी सरकार सभी जगह यह कह देती है, सबको पानी पिलाने के लिए पानी को निजी कम्पनियों को देना एकमात्र रास्ता है क्योंकि सरकार की यह मान्यता इसलिए बरकरार है कि राजनेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों की जेब में बिना कुछ किए नदियों के जोड़ने के नाम पर अथाह धन जा सकता है। यह धन नदियों को जोड़ने मात्र का नहीं है, बल्कि मालिक बनने के लिए है। विश्व बैंक, आई. एम. एफ., बहुराष्ट्रीय कम्पनियां एक हाथ से हमारे देश को धन देंगी और दूसरे हाथ से कन्सलटैन्सी, मशीनों के नाम पर वापस ले लेंगी। केवल इतना ही नहीं बूट (Boot) एग्रीमेन्ट डब्ल्यू. टी. ओ. के आदेशानुसार नदियों का मालिकाना हक और पट्टेदारी, सब कुछ हासिल कर लेंगी।

ये सब हमारी नई गुलामी के नए रास्ते हैं। अब लोकतंत्र में लोक को ऐसे तंत्र द्वारा ही गुलाम बनाकर रखा जा सकता है। नई गुलामी केवल कर्जदार घोषित होने की नहीं है। यह तो जीवन के आधार पानी पर नियंत्रण की है। जब पानी के लिए पैसा नहीं होगा तब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी मर्जी के मुताबिक एग्रीमेन्ट लिखाएंगी। नदियों को जोड़ने की यह पूरी प्रक्रिया अभी तक न केवल दिल्ली के सर्वोच्च पदों को प्रभावित कर चुकी है बल्कि अब

यह नीचे की तरफ भी मुड़ने लगी है। किन्तु आज तक कोई भी मुख्यमंत्री अपनी नदियों और राज्य की सीमाओ में बहने वाले पानी के आंकड़े व दूसरे राज्य को पानी देने की मात्रा, घोषित नहीं कर सका है।

अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दूत राज्यों की राजधानियों में पहुँच रहे हैं। वे जल्दी ही कुछ मुख्यमंत्रियों को तैयार करने में जुटे हैं। लेकिन नदियों के पानी का मामला उन्हें भी नाजुक दिख रहा है। इसलिए अभी तक कोई बड़ी घोषणा कानों को सुनाई नहीं दी है। हम चाहते हैं कि नदियों को जोड़ने की बहस से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोड़ने की बहस चलनी चाहिए। किसको कितना पानी देकर जोड़ा जाएगा। यह सब तय हो जाये। तब हमें नदियों के जुड़ने का चरित्र समझ में आएगा। अभी बिहार के श्री लालू यादव जी, केरल के एन्टनी जी, महाराष्ट्र के श्री शरद पवार जी ने तो नदियों को जोड़ने से साफ मना कर दिया है। शेष मौन हैं। इन्हें वोट की दिशा का इन्तजार था।

अब परिणाम आ चुके हैं। नई सरकार दिल्ली में तथा कुछ राज्यों में बन चुकी है। अब ये इस विषय में कुछ नया भाव–बोध प्रकट करें। नया टास्कफोर्स, नये अधिकारी कुछ नयी भाषा में बोलने लगे हैं। ये शुभ लक्षण हैं। नदी जुड़ना शुभ नहीं है। लेकिन नदियों से पूरे समाज का जुड़ना शुभ है।

आज हमारा समाज तो इस मुद्दे पर गुमराह हो रहा है क्योंकि एक तरफ पैसा दूसरी तरफ वोट, तीसरी तरफ पानी, चौथी तरफ जीवन जीने का हक, किधर जाएं हम ? अब पूरा समाज कब तक गुमराह रहेगा ? राष्ट्रीय जल चेतना यात्रा ने आह्वान किया है कि "नदियाँ तो नहीं जुड़ेगी–समाज जुड़ जाएगा।" तो ये अंधेरखाते की नदी जोड़ने की चौपट घोषणा और अधिक भ्रमित नहीं कर

सकेगी। इस हेतु संगठित होकर सूखे, अकाल और बाढ़ के बचाव का इस नई चाल से पहले पुराने सवालों का जबाब मांगें। आज़ादी के समय केवल 232 गाँव बेपानी थे, अब 2004 में एक लाख तिरेपन हजार गाँव बेपानी कैसे बने ? नदियों का जुड़ने से सबको पानी कैसे मिलेगा ? सुखाड़ और बाढ़ मुक्त हम कैसे बनेंगे ? इसका स्पष्ट जबाब मिलने के बाद ही हम वोट देंगे।

हमारा समाज अभी तक चुनाव में वोटों से बंटता था। लेकिन अब नदियों से भी बँटेगा। जिस नदी के जुड़ने का ज्यादा कर्जा जल्दी मिलेगा, वहाँ की नालियों में पैसों का पानी जल्दी बहेगा। दूसरी तरफ भूखे और प्यासे लोग उस बहते पानी को देखेंगे और फिर जगह–जगह अनेक लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। इन लड़ाइयों को मिटाने के लिए एक अलग तरह की न्याय पालिका बनेगी। यह न्याय पालिका नदी के ऊपर और नीचे के ग्रामीणों के झगड़े निपटाएगी। एक माँ से जन्मे दो भाइयों की आपसी लड़ाई। खेती और उद्योग के पानी के हक के लिए जो लड़ाई होगी उनको न्याय दिलाने वाली व्यवस्था बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी। किसको कितना पानी मिलेगा ? उसके लिए जगह–जगह मीटर होंगे। इससे पानी का बाजार गर्म बनेगा। उस बाजार में फिर आज की तरह दूध के भाव पानी नहीं बिकेगा बल्कि घी के भाव से पानी बिकेगा।

घी के भाव पानी बेचने वाला सेठ कहेगा, कई नदियों का मिला हुआ जल "पंचामृत" है। "पंचामृत" पाने के लिए समाज पैसा देगा ही, क्योंकि उसे जिंदा रहना है। आज तो यह एक काल्पनिक कहानी जैसे लगती है। ठीक वैसे ही जैसे मुझे पाँच साल पहले बोतल बन्द पानी की बिक्री लगती थी। पर आज तो हमारे देश का पांच प्रतिशत समाज बोतल बन्द पानी खरीद कर पी रहा है। नदियों के जोड़ने का भी यही हाल होगा। नेताओं ने तो अपने वोट की खातिर यह सब किया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इसे साकार करने

में जुटी हुई हैं। शुरू में तो ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कैलाश सोनी जैसे भारतीय व्यापारी को नदियों का खरीददार बनाकर नदी से पानी उठाकर दूसरी नदी घाटी में, उद्योगों में पहुँचाने का छोटा–छोटा काम करवाएंगे। फिर बाद में कोक–पेप्सी जैसी इन सभी छोटी कम्पनियों को खरीदकर एक बड़ी कम्पनी होगी। फिर यह कम्पनी सभी नदियों की मालिक बन जाएगी। अतः नदियों का जुड़ना सबको पानी पिलाना नहीं बल्कि सबके पानी को छीनकर एक के हाथों में सारा पानी पहुँचाना है।

नदियों का जुड़ना अभी बहुत सारे राजनेताओं के लिए आकर्षक और "दूधारू गाय" की तरह है। कई ने तो मुझ से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर, यह कहा कि आप नदियों को जुड़ने के विरोध में मत बोलिए, इससे हमारे देश को मिलने वाला पैसा रुक जाएगा। और यमुना, सतलज, तेलगुगंगा की तरह दूसरी नदियों के काम में भी बहुत बाधाएं आएँगी। तब मैंने कहा कि पुरानी नदियों को जोड़ने के काम को पहले पूरा कर लीजिए। फिर नई नदियों के जुड़ने में हम भी मदद कर देंगे। यह सुनकर राजनेता चुप हो गए। क्योंकि 30–40 वर्षों से कई नदियों के जोड़ने के झगड़े सैकड़ों हजार करोड़ खर्च करके भी अधूरे पड़े हैं। नेता पहले इन्हें जोड़कर उनके लाभ दिखाकर आगे बात करते तो समाज मान जाता। लेकिन अब तो समाज को संगठित होकर इसका विरोध करना ही उचित लग रहा है।

अभी राष्ट्रीय जल चेतना यात्रा के दौरान कई जगह पर नदियों के जुड़ने की बहस पर समाज ने भी अच्छी टिप्पणियां की हैं। नदियों का जुड़ना तो "उल्टी गंगा बहाना है।" जिस दिन गंगा उल्टी बहने लगेगी उस दिन से हमारा नाश ही नहीं –सर्वनाश शुरू हो जायेगा। एक बहन ने कहा "नदियों का जुड़ना तो पहाड़ का समुद्र बनना और समुद्र का पहाड़ बनाना जैसे है।" हमें यह सुनकर

वास्तव में लगता है कि भारतीय समाज भी नदियों के जुड़ने के भ्रामक विचार से चिंतित है। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। सरकार तो भ्रम दूर नहीं कर रही है। लेकिन नदियों को जोड़ने की परियोजना – वन्दना, शिवा व कंवर जीलेश तथा नदी जोड़ योजना सैड्रप द्वारा प्रकाशित इसी तरह श्री सुधीरेन्द्र शर्मा जी द्वारा लिखित पुस्तकें इस परियोजना की विस्तार से कलई खोलती हैं।

अभी सरकारी तौर पर यह भ्रम फैलाया ही जा रहा है। कुछ लोगों को नदियों के आयुक्त बनाने, कुछ को बड़ी–बड़ी नौकरियाँ, पद और दौलत मिलने के सपने दिखाए जा रहे हैं। ये सपने शुभ नहीं हैं। इन्हें तुरन्त रोका जाना चाहिए। यदि सरकार में थोड़ी भी समझदारी है तो जगह–जगह सामुदायिक जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहन दे। जब समाज स्वयं मिलकर जल, जंगल बचाने का काम करेगा तब ही सभी नदियों में पानी बहेगा। पैदावार, रोजगार बढ़ेगा और सम्पूर्ण राष्ट्र सुखी, समृद्ध, और पानीदार बनेगा।

समाज के अपने प्रयास ही टिकते और चलते हैं। छोटी–छोटी कोशिश और छोटे–छोटे काम समाज को जोड़ते हैं। समाज जुड़ेगा तो धरती की हरियाली और पैदावार से जुड़ेगा। तब तो सब नदियां पहले की तरह ही जुड़ी रहेंगी। नदियों का अपना चरित्र होता है। नदियों को सड़कों और टेलीफोन की लाइनों की तरह जोड़ने की बात नहीं की जा सकती। सड़क और टेलीफोन लाइन निर्जीव हैं। पर नदियां सजीव हैं। सब नदियों में अलग–अलग प्रकार के जीव जन्मते–चलते हैं। इनकी जैविक विविधता का सम्मान करना बहुत जरूरी है अन्यथा इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे।

सब नदियों का अपना जीवन काल होता है। जीवन की जरूरतें होती हैं। नदियों के जीवन का चरित्र सब कुछ अलग–अलग

है। इसकी विविधता को जोड़ना भविष्य के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए एक बहुत गम्भीर बड़ा खतरा पैदा करना है। नदियों के जीन–बैंक का संतुलन बिगड़ जाएगा और असाध्य बीमारियां जन्म ले लेंगी। ऐसा कई जगहों पर हो चुका है, जहाँ इस प्रकार की कुछ कोशिशें की गई थीं। जहाँ ऐसी कोशिश हुई वहाँ अस्थमा, नजला जैसी अनेको बीमारियों ने जन्म ले लिया। ऐसा लगता है, नदियों का जुड़ना भ्रष्टाचार के साथ–साथ प्रदूषण एवम् बीमारियों का जुड़ना है।

बाढ़ से मुक्ति के लिये नदियों को जोड़ना समझ में नहीं आता। नदियों के जुड़ने से तो बाढ़ आती है। भारत का सबसे पहला हीराकुड बांध कटक डेल्टा 5000 वर्ग मील बाढ़ क्षेत्र को मुक्त करने का वायदा 1957 में कर चुका था। लेकिन आज तक यहाँ बाढ़ क्षेत्र एक इंच भी कम नहीं हुआ। वरन् बढ़ता ही जा रहा है। इस बांध के बनने से 300 से अधिक गाँव डूबकर बेघर हुए और बांध के निर्माण के 45 वर्ष बाद भी बाढ़ क्षेत्र नहीं घटा। बल्कि इस बांध से जुड़े हुए और भी कई नए क्षेत्रों में बाढ़ आने लगी है। पास के कई जिलों का यह बाढ़ क्षेत्र पहली बार सन् 2001 में बना। नये बाढ़ क्षेत्रों का विस्तार बड़े बाँधों से शुरू हो रहा है। नदी जोड़ पूरे देश में 37 नये बाढ़ क्षेत्र बना देगा।

सुखाड़ क्षेत्र भी नदियों के जुड़ने से कम नहीं होंगे, क्योंकि बरगढ़ जिले के कुछ क्षेत्र में नदियों के जुड़ने से भी ऐसा ही खतरा बरकरार रहेगा। आज नदियों में पानी की जो स्थिति है, वह केवल बरसात के दिनों में ही फ्लश फ्लड की तरह बहती है। शेष दिनों में जब पानी की जरूरत होती है तब सूखी रहती है। नदियों को जोड़ने के लिए जो बांध बनेंगे उनका चरित्र भी हीराकुड जैसा ही रहेगा। अतः नदियों के जुड़ने से बाढ़ और सुखाड़ के क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने का भ्रम सरकार को नहीं फैलाना चाहिए। जहाँ अभी कुछ

पानी गर्मी में भी बहता है। वहीं जल सूख जायेगा क्योंकि सरकारी सहमति के तहत सभी राज्यों का पानी का हिस्सा तय होगा। तब धरती और प्रकृति की जरूरत के अनुसार पानी नहीं मिलेगा, बल्कि सरकारी निर्णयानुसार पानी मिलेगा। इसके उपयोग में कोई अनुशासन नहीं रहेगा। एक तरफ बेरोकटोक पानी का खर्च होगा। दूसरी तरफ पानी नहीं पहुँचेगा। इससे नये सुखाड़ क्षेत्र बढ़ेंगे।

आज़ादी के बाद आज तक भी सरकार बाढ़ और सुखाड़ क्षेत्र घटा नहीं पाई है। देश में अब तक बने सारे बांध बाढ़ और सुखाड़ की मुक्ति के नाम पर बने हैं। एक भी बांध के विषय में जो वायदा किया था, वह पूरा नहीं हुआ। इसलिए भारत की जनता को नदियों को जोड़ने के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए।

जब तक अपने मनमाने तरीकों से हमारे नेता–अधिकारी–व्यापारी नदियों को जोड़ने की बात करते रहेंगे, हमारा समाज बिखरता चला जायेगा। हमारा समाज जुड़कर कुछ पानी बचाने आदि का काम करेगा तो अच्छा रहेगा। उसी से अकाल–बाढ़ रुकेगी, सबको पानी मिलेगा। सब जगह सब ही मिलकर पानी बचाएं। जहां समाज ने ऐसा किया, वहां सूखी हुई रूपारेल, अरवरी नामक नदियां फिर से बहने लगीं। इन नदियों का बेसिन सुखाड़–बाढ़ मुक्त बन गया। यहाँ 1995–96 के अतिवृष्टि के बावजूद बाढ़ नहीं आई। इस क्षेत्र में अब 1998 से अति कम वर्षा हुई है तब भी यहाँ सुखाड़ नहीं है। यहाँ का समाज सुखी और समृद्ध है। सब को पीने का पानी मिल रहा है। खेती, उद्योग सब ही यथावत् चल रहे हैं। यह सब, समाज के जुड़ने से ही सम्भव हुआ। अतः नदियों को नहीं, समाज को नदियों के साथ जोड़ो, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा।

आइये ! गांधीजी का सपना पूरा करने में जुटें

यदि गांधी जी आज होते तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा बढ़ रहा है, उसको रोकने की सबसे पहले कोशिश करते। बापू ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के साम्राज्य के खिलाफ हथियार के रूप में चरखे को चुना था। समाज के मेहनत–पसीने की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी कपड़ों के माध्यम से मैनचेस्टर में जा रहा था। आज से सौ साल पहले गांधी जी अन्याय के खिलाफ लड़ने और उसका प्रतिकार करने के लिए अवतरित हो चुके थे। उन्होंने रंगभेद के अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के उस रेलवे स्टेशन से की थी, जहां फर्स्टक्लास का टिकट उनके पास होते हुए भी वे उस डिब्बे से इसलिये उतार दिये गये क्योंकि उसमें गोरे लोग ही सफर कर सकते थे। रंगभेद के खिलाफ 20 वर्ष तक लड़कर विजयी होकर वे जब भारत वापिस लौटे तब भारतीय किसान का शोषण करने वाली नील की खेती के खिलाफ उनका संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन बापू इन सबका विरोध करते हुए भी बुनियादी बदलाव और गुलामी की संस्कृति से मुक्ति का रास्ता भी ढूंढ रहे थे। इस खोज में बापू को गुलामी से मुक्ति का सहज रास्ता चरखे में मिल गया।

बापू ने चरखे को अपनी क्रान्ति का प्रतीक माना था कि आज की यांत्रिक और केन्द्रित मुनाफाखोर अर्थव्यवस्था का जवाब विकेन्द्रित तथा स्वावलम्बी उत्पादन पद्धति ही हो सकती थी। चरखा उस अर्थव्यवस्था का न केवल प्रतीक था, बल्कि साधन भी। इसलिये बापू ने चरखे को अपनी बुनियादी लड़ाई का हथियार बना लिया। चरखा श्रमनिष्ठ, हिंसा व शोषण रहित समाज –रचना का प्रतीक था। हमें गुलाम बनाने वाली व्यवस्था को तोड़ने वाला एक मजबूत शस्त्र था।

आज हमारे जीवन के आधार प्राकृतिक संसाधन जल, जंगल और जमीन सभी समाज के हाथों से निकलता जा रहा है और सबसे अधिक पानी के जरिये पैसे की लूट बढ़ रही है और पांच वर्षों में भारत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पानी के व्यापार से विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। बापू को जैसे ही यह गंभीर खतरनाक खेल समझ में आता तो वे तुरन्त इसे रोकने की मुहिम खड़ी करते। अन्याय और अत्याचार, हिंसा को रोकने की इस मुहिम का आधार उन्हें केवल भाषण नहीं सूझता बल्कि वे चरखे की तरह कोई रचनात्मक उपाय ढूंढते और इसका रचनात्मक उपाय तो "तालाब" ही है।

तालाब के निर्माण में कोई भी पैसा किसी कम्पनी को देने की जरूरत नहीं होती। समाज के लोग अपने श्रम और समझ से मिलकर तालाब का निर्माण कर सकते हैं। तालाब के निर्माण की प्रक्रिया समाज को जोड़ने से शुरू होती है। समाज मिलकर संगठित होकर ही तालाब का काम शुरू करते हैं और इसमें जो वर्षा का पानी रुकता है, वह धरती का कटाव रोककर, प्रकृति के शोषण को समाप्त करता है। गांव के गरीब से गरीब इंसान और पशुओं को बिन पैसे पानी मुहैया कराता है। धरती का पेट भरता है। कुओं का पुनर्भरण होता है और यह काम पूरे समाज को पानीदार यानी "जल सम्पन्न" और स्वाभिमानी बनाता है। जैसे चरखा समाज को श्रमनिष्ठ और समृद्ध बनाता है। तालाब विश्व के गरीबतम प्राणी को बिन पैसे जिंदा रखता है। तालाब से ही बोतल बन्द पानी का व्यापार रूप में हो रहा शोषण रुक सकता है। जब गांव में एक निर्मल जल का तालाब होगा तो रास्तों पर प्याऊ बनेंगी। क्योंकि तालाब ही प्याऊ का जन्मदाता है। जब जगह–जगह पर, बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशन पर प्याऊ होंगी तो कोई भी खरीदकर पानी नहीं पीयेगा। तालाब सबको पानी पिलाता है। जीवन देता है। आगे बढ़ाता है। बिना किसी से कुछ लिये, केवल उसकी मेहनत और समाज–भावना के बदले।

हम जीवन में तालाब बनाने की प्रेरणा गांधी के चरखे से ले सकते हैं। गांधी जी को चरखा ढूंढने में बहुत समय और मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि तब तक विदेशी कपड़ा हमारे चरखे को निगल चुका था। अभी तालाब खत्म तो हो रहे हैं, परन्तु कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुवाहाटी से गुजरात तक आज भी कुछ तालाब बचे हुए हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात के गांवों में तो आज भी तालाब खरे हैं और तालाब के बिना दूसरा सहारा समाज को जिंदा रखने के लिए मौजूद नहीं है। बहुत से गांव केवल तालाब के पानी पर जिंदा हैं। इन गाँवों की जिन्दगी बिन पैसे भी तालाब के किनारे बची रहेगी। गांधी जी ने जब चरखा चुना तब कुछ चरखे की भी भूमिका आज के तालाब की तरह थी। किन्तु सौ साल पहले पानी की लूट के बादल लोगों के सिर पर नहीं मंडरा रहे थे। पानी सब जगह सहजता से उपलब्ध था। कहीं दूर कठिनाइयों से मिलता था। पर बिन पैसे मिलता था।

1 अप्रैल, 2002 के जिस दिन भारत के लिये सरकारी नई जलनीति घोषित हुई यदि बापू जीवित होते तो तालाबों की अस्मिता, संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए सत्याग्रह शुरू कर देते। पानी सबको जीवन का आधार देने वाला सामलाती संसाधन है। हवा व पानी के बगैर वन्यजीवन, पेड़, मनुष्य, पक्षी जीवन सम्भव नहीं है। ऐसे संसाधनों का सरकारीकरण अथवा निजीकरण नहीं किया जा सकता। गाँधी जी अपनी आँखों से भारत की इस जलनीति या अनीति को पढ़ते तो वे आजादी के बाद हुए भारतीय समाज के साथ सबसे बड़े धोखे को समाज को सावधान करने के लिए निकल पड़ते या समाज के साथ मिलकर सत्याग्रह शुरू कर देते।

बस, वे एक ही बात कहते कि पानी किसी सरकार का बनाया हुआ नहीं है। समाज और सृष्टि का साझा संसाधन है। इसे साझी जिंदगी के साझे प्रयासों से ही बचाना है और वे प्रतिदिन फावड़ा

उठाकर तालाब बनाने के लिए लोगों के साथ श्रमदान करने में लग जाते। तालाब तो श्रमदान का ही प्रतीक है। जैसे चरखा। चरखे और तालाब के व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों ही समाज में श्रमनिष्ठा को कायम रखने वाले और समाज को अपने हाथ से काम करके खाने की प्रेरणा देने वाले हैं।

चरखा श्रम से चल सकता है। तालाब भी निजी श्रम से बन सकता है। चरखा का कता सूत कपड़ा बनाने तक की यात्रा में समाज के कई वर्गों को जोड़ता है। इसी प्रकार तालाब भी समाज के कई वर्गों को निर्माण प्रक्रिया में जोड़ता है। यह साझे हित को साधने वाला कम खर्च का बड़ा उपक्रम है। समाज को स्वावलम्बी बनाने का धरती से जितना हम लेते हैं उतना ही अपनी मेहनत से लौटाने का संदेश देता है। यह प्रकृति के पोषण की भूमिका अदा करता है। ईशावास्य उपनिषद के मंत्र त्यकतेन भुंजिथाः को और गीता के यज्ञ कर्म – देवान्यावयताऽनेन, ते देवा भवयन्तु वः परम्परम् भावयन्तः श्रेयः परमावास्ययः। को साधने वाला है। तालाब भारत की संस्कृति और समाज का प्राण रहा है। समाज अपना काम करने के साथ – साथ तालाब बनाने का काम भी सदा ही अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शारीरिक श्रम करके पूरा करता था। ये दोनों दिन समाज में सामलाती कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित करके रखे थे। आज यह परम्परा हम से टूटती जा रही है। बापू इसी परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे समाज को खड़ा करते। वे युगपुरुष थे। हर काम के लिए वे सदैव यही कहते थे कि "मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ।"

समाज की ही अच्छी परम्पराएँ और अच्छे काम छूटते जा रहे हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए समाज को खड़ा होना चाहिए।

बापू ने अपने जमाने में कुछ रचनात्मक कार्यों को करने हेतु कार्यकर्ताओं की एक "ब्रिगेड" तैयार की थी। आज वे शायद पानी

को बचाने, सहजने का काम तालाबों के द्वारा करने हेतु उन्हें प्रेरित करते। आज बापू का काम करने वाले कार्यकर्ताओं के सामने पानी जैसे जीवन के प्राण–सत्य के निजीकरण और व्यापारीकरण को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करके जहां–जहां भी काम शुरू होंगे, वहां पर पूंजीवाद और साम्प्रदायिकता की फूट और लूट भी अपने आप रुकने लगेगी। हमारे देश को अपने पैरों पर खड़ा होने, स्वावलम्बी बनने की चाह जागेगी। यही एक रास्ता होगा 21वीं शताब्दी में बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देने और चरखे का पुनरोद्धार करने का भी।

आजादी के आन्दोलन में चरखे ने भारतीय समाज में जो ऊर्जा के प्राण फूंके वह ऊर्जा अब तालाब भी पैदा करेगा। इसलिए आज पानी पर प्रकृति और समाज का हक कायम रखने की मुहिम तालाब से शुरू करें। तालाब गांधी जी की स्वराज्य की कल्पना को पूरी करेगा। खेती में सिंचाई के लिए पर – निर्भरता तथा पीने के पानी हेतु बोतल की बिक्री बन्द करेगा। पानी पर सबका समान हक बनाने में कारगर साबित होगा। आइये, हम सब मिलकर गांधी जी की कल्पना के ग्राम स्वराज्य को साकार करने हेतु तालाब बनाने में जुटें।

राष्ट्रीय जलनीति हेतु अपील

1. राष्ट्रीय जलबिरादरी के सौजन्य से एक राष्ट्रीय जल यात्रा मई 2004 में सम्पन्न हुई। इसमें एक हजार से अधिक जल कार्यकर्ताओं ने आन्ध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल आदि राज्यों से भाग लिया।

2. राष्ट्रीय जलबिरादरी नीति पर पूर्व में अपने विचार प्रस्तुत कर चुकी थी। जिसकी प्रति पहले ही सरकार को दी जा चुकी है। बिरादरी निम्न मुद्दे दुबारा बनाना चाहती है तथा अनुरोध करती है कि इन पर आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाए :

   अ. राष्ट्रीय जल नीति को अन्तिम रूप देने से पहले, इसका मसौदा जन साधारण को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए तथा जल सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। नीति बनाने का कार्य केन्द्र सरकार ने केवल राज्य सरकारों के विचार–विमर्श से किया है, जिसमें जन–सामान्य को अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका नहीं दिया गया है। इसको सुधारने के लिए प्रस्तावित जल नीति पर "जन सुनवाई" देश में निम्नांकित 5 जोनों में होनी चाहिए :

   - दक्षिण (केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु)
   - मध्य (मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़)

- उत्तर (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरान्चल, जम्मू एवं कश्मीर)
- पश्चिम (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र)
- उत्तर–पूर्व (पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, उ. पूर्व राज्य)

ब. पानी की सामलाती प्राकृतिक संसाधन के रूप में विशेष पहचान की जानी चाहिए तथा इसे हमारे देश में जीविका का साधन माना जाना चाहिए। भारतीय जीवन दर्शन में जल एक वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन जीने का अधिकार है। जल पूर्ति तथा खाद्य पूर्ति इन दोनों को साथ–साथ समग्र रूप दें, ये अलग–अलग नहीं हैं।

क. समुदाय ही जल संरक्षण के अधिकार के लिए सही मायने में अधिकृत है। समुदाय की भूमिका की पहचान करके उसके प्रत्येक स्तर पर जल प्रबन्धन में शामिल करना चाहिए तथा सभी स्तर की निर्णय प्रक्रिया में इसे महत्व दिया जाना चाहिए।

ड. राष्ट्रीय जल नीति में भूमिगत जल संसाधन पर अधिक प्राथमिकता देना चाहिए क्योंकि करोड़ों लोगों की जीविका इस पर निर्भर करती है तथा नीति में इस पर विशेष खण्ड होना चाहिए। भूमिगत जल संसाधन के समान रूप से उपयोग तथा इसके प्रबन्धन के क्रियान्वयन में समुदाय का नियन्त्रण देखने को नहीं मिला। सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय जल नीति के तहत पुराने कानूनों तथा नियमों की समीक्षा

करनी चाहिए जो समुदाय को भूमिगत पानी रिचार्ज (पुनःभरण) के लिए रोकते हैं। सरकारों को इसे अति शीघ्र सुधारना चाहिए जिससे समुदाय को वर्षा के पानी के संग्रहण करने तथा भूमिगत जल पुनःभरण की दिशा में बढ़ावा मिल सके।

छ. समता के आधार पर सीमित जल संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए। सीमित जल क्षेत्रों में अधिक पानी की खपत वाली फसलों की बुआई पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध होना चाहिए। सभी को कम से कम एक फसल उगाने में सक्षम बनाना चाहिए। जल पर सबका समान अधिकार बना रहे।

व. इसी प्रकार सीमित जल क्षेत्रों में अधिक जल खपत करने वाले उद्योग भी स्थापित नहीं करने चाहिए। जो उद्योग भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं, उनको बन्द करना चाहिए। बढ़ते कृषि रसायनों के उपयोग से भूमिगत जल प्रदूषण को रोकने के लिए अति शीघ्र कदम उठाने की भी आवश्यकता है।

च. राष्ट्रीय जल नीति भारत के जल संसाधनों तथा नदी क्षेत्रों के संरक्षण के सिद्धान्तों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना तथा प्रभावी जल नीति बनाने की आवश्यकता है।

ज. भारत को जमीन की नमी तथा भूमिगत जल संरक्षण के लिए लाखों छोटे–बड़े जलाशय बनाने चाहीए। जहां तक सम्भव हो शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए।

झ. देश के जल संसाधन विकास में शामिल सरकारी विभागों तथा संस्थाओं की जितनी अधिकता है, परिणाम स्वरूप उतना ही उनमें बिखराव है तथा प्रभाव कम है। समन्वयन हेतु ऐसी प्रक्रिया तय की जाए जिसके कारण उपलब्धियां तथा लाभ अधिक हो सके। जल, जंगल, खेती तथा ऊर्जा नीतियों में एकीकरण करने की आवश्यकता भी है।

न. सरकार द्वारा जल संसाधन विकास पर बहुत अधिक धन खर्च किया जा रहा है। प्रक्रिया अपारदर्शी है। जनता को देश, राज्य तथा जिला स्तरों पर व्यय की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रीय जल नीति को सुधरी हुई शासन व्यवस्था की संस्कृति प्रारम्भ करनी चाहिए, जिसमें जल सेक्टर के जरिये पारदर्शिता तथा अधिक वित्तीय जवाबदेही दर्शायी जा सके। अगर राष्ट्रीय जल–नीति को सही अर्थ में समझा जाए तो इस बारे में जनसाधारण को सूचित करने की आवश्यकता है।

3. राष्ट्रीय जलबिरादरी एक उभरता हुआ राष्ट्रीय जन आन्दोलन है। इसको आगे बढ़ाने में आपकी मदद की आवश्यकता है। आशा है कि आप हमारी मदद कर सकेंगे तथा हमें सूचित भी करेंगे।

जलयात्रा का कार्यक्रम

चरण	समय	राज्य
चरण – 1	23 दिसम्बर, 2002 से 10 मार्च, 2003	1. दिल्ली 2. हरियाणा 3. राजस्थान 4. गुजरात 5. मध्य प्रदेश 6. छत्तीसगढ़ 7. उड़ीसा
चरण – 2	10 मार्च से 30 मई, 2003 9. दिल्ली	8. उत्तरांचल 10. मध्य प्रदेश 11. महाराष्ट्र 12. गोवा 13. कर्नाटक 14. आन्ध्र प्रदेश 15. तमिलनाडु 16. पांडिचेरी
चरण – 3	1 जून से 15 जुलाई, 2003	17. केरल 18. कर्नाटक 19. महाराष्ट्र 20. मध्य प्रदेश 21. उत्तर प्रदेश 22. दिल्ली 23. हरियाणा 24. पंजाब 25. जम्मू और कश्मीर

चरण	समय	राज्य
चरण – 4	जुलाई और अगस्त 2003	26. हिमाचल प्रदेश 27. पंजाब 28. हरियाणा 29. उत्तर प्रदेश 30. राजस्थान
चरण–5	सितम्बर से नवम्बर 2003, दिसम्बर 2003	31. पश्चिम बंगाल 32. बिहार 33. झारखण्ड
चरण – 6	दिसम्बर 2003 और जनवरी 2004	फालो अप विजिट 34. महाराष्ट्र 35. केरल 36. उत्तरांचल 37. उत्तर प्रदेश
चरण – 7	मार्च से मई 2004	38. अरुणाचल प्रदेश 39. असम 40. मणिपुर 41. मेघालय 42. मिजोरम 43. नागालैण्ड 44. सिक्किम 45. त्रिपुरा

❑❑❑

मुद्रक : कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर